खण्ड-367, अंक-9
बुधवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1906
(18 अप्रैल, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
विरोध पक्ष के दलों द्वारा सदन त्याग	7
प्रश्नोत्तर	7–41
श्री प्रेमपाल सिंह, निवासी बुमिया, अलीगढ़ की हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
तहसील तिलहर (शाहजहांपुर) के ग्रामों में चकबन्दी के कागज वापस न होने से ग्राम सभाओं के कार्यों में रुकावट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42–43
अल्प संख्यकों की जमीन को सरकार व अन्य लोगों द्वारा कब्जे में लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
कैसरगंज, बहराइच में कन्या विद्यालय न खोलने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
चिल्की पम्प नहर (बांदा) में पानी न देने से फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	44
श्री ए० बी० शोरेवाल, पुलिस उपधीक्षक को अकारण निलम्बित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
विधान सभा क्षेत्र, खैर (अलीगढ़) में गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
ब्लाक साडी, हरदोई में बिजली की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों के अध्यापकों की श्रेणी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	45–46
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	46
दिनांक 2 अप्रैल, 84 की कार्यवाही से शब्द "सिख उग्रवादियों" में से शब्द "सिख" निकालने के सम्बन्ध में श्री जयदेव सिंह बरार के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	46–47
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	47

विषय	पृष्ठ-संख्या
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 12-गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	47-48
19 अप्रैल, 1984 के लिये निर्धारित कार्य सूची के कार्यक्रम को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	48-49
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	49
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 7-ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या 47-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 48-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें), अनुदान संख्या 49-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 50-वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 51-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 61-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर), अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	49-52
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 (पारित) ..	52
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खाँ के व्यवहार की जांच हेतु गठित समिति के कार्य काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	52-53
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था), (संशोधन) विधेयक, 1984 (विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन से सहमत)	53-54
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984 (पारित)	54-55
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 (पारित) ..	55-59
सदन अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	60
नत्थी	61-71

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 18 अप्रैल, 1984 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 1 बज कर 4 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्ल राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुवंर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुवेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालरज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर, सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशुर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)

गंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैथ्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल चौधरी, श्री (बलिया)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बराड़, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जुगल सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थामन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धमपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) उर्फ (लाल बाबू)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)

पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पर गी लाल चौधरी श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोतम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
भजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भरत, श्री (देहरादून)

भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह सोना, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल बेहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह श्री (देवरिया)

मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघूराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राय आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औसार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राय कुवंर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डॉ0 (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राज्यपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राय यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राय शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप शर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणिजी)

लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमल राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बुद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेल
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)

श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेत्रपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)

हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—गन्ना विकास मंत्री, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, वित्त एवं संस्थागत वित्त राज्य मंत्री श्रीमती इन्द्रमोहिनी तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायत, राज राज्य मंत्री श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विरोध पक्ष के दलों द्वारा सदन त्याग

श्री रियासत हुसैन--

जनता पार्टी ने कल घोषणा की थी कि जब तक श्री अध्यक्ष पीठासीन रहेंगे तब तक जनता पार्टी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी क्योंकि शासन ने आपको इस हद तक मजबूर कर दिया, जिससे पूरे सदन को ठेस पहुंची है। इसलिए जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं। (श्री भीखालाल भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग चले गये।)

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष महोदय,

[× × ×]

इसलिए मैं अपनी पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हुकुम सिंह भी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

(घोर व्यवधान)

(इसी के साथ विरोधी पक्ष के सभी नेता-अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष के ऊपर जो भी टीका-टिप्पणी की गई है, वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 18 अप्रैल, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वालों को स्वीकृत मानदेय

**1--श्री लल्लू सिंह चौहान (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में अच्छा कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मानदेय न देने का क्या कारण है ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

वर्ष 1983-84 में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत किया गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में नेत्रहीन व्यक्ति की नियुक्ति

**2--श्री भोला पाण्डेय (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ विश्व-विद्यालय के सहयोग से एक नेत्रहीन परन्तु प्रतिभावान युवक को प्रयोगात्मक रूप में अध्यापन हेतु प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में प्रदेश में पहली बार स्थान प्रदान किया ? क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की उनके अध्यापन कार्य की रिपोर्ट क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक रूप से शिक्षण कार्य हेतु प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में 1,000 रु0 प्रतिमाह के मानदेय पर एक नेत्रहीन व्यक्ति की नियुक्ति की गई है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उनका अध्यापन कार्य सन्तोषप्रद है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 के बारे म मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न में मैं रुचि रखता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस प्रश्न पर माननीय श्री श्यामलाल बाजपेयी जी रुचि रखते हैं, इसलिए आप इसे ले लें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1000 रु0 प्रतिमास मानदेय पर उन्हें नियुक्त किया गया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक नेत्रहीन को रोजी दी। परन्तु आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नेत्रहीन अध्यापक को वे सभी सुख-सुविधायें प्राप्त हैं, विश्वविद्यालय में, जो एक आदरणीय अध्यापक को मिलनी चाहिये । मेरी सूचना के अनुसार इस व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पढ़ाने हेतु भी उपयुक्त वातावरण नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह जैसा माननीय बाजपेयी जी ने कहा, यह नियुक्ति एक एक्सपेरी-मेंटल बेसिस पर हो रही थी । विकलांगों के प्रति, शासन की मान्यवर, पूरी हमदर्दी है । देश और प्रदेश में, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए जो योजना चली थी, एक तरह का केम्पेन चलाया गया, उसके तहत इस जगह पर उनकी नियुक्ति की गयी थी । शासन ने विश्वविद्यालय को लिखा था, विश्वविद्यालय ने शासन को सूचित किया था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, अगर मानदेय के आधार पर यह नियुक्ति कर दी जाती है । मान्यवर, एक नेत्रहीन व्यक्ति को वहां पर नियुक्ति की गयी ।

एक हजार रुपय का मानदेय उसे मिल रहा है, यह उस शक्ल का है जो उसे ग्रेड मिलना चाहिये था उस बात के अनकूल नहीं है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि एक स्थान उसका क्रियेट करवाया जाय, एक पोस्ट क्रियेट करवायी जाय । वहां पर विकलांगों के प्रति जैसा कि शासन का रवैया रहा है हमदर्दी का, उसके अनुसार नियुक्ति करायी जाय । बहुत सा विश्वविद्यालय को भी कार्य करना पड़ता है, बोर्ड आफ स्टडीज की रिकमेन्डेशन लेनी होती है, एकेडमिक काउन्सिल की राय लेनी पड़ती है, वह सारी प्रक्रिया करायी जा रही है । वह सब जैसे ही पूर्ण हो जायेंगी, तो जो भी उस जगह पर होगा, वह सारी सुविधा उसको मिलेगी, जो उसे मिलनी चाहियें ।

माननीय बाजपेयी जी ने एक महत्व-पूर्ण प्रश्न उठाया है । जो वहां एक वातावरण है, उसमें कुछ कमी है । उसको शासन दिलवा लेगा और पूरी सुविधा दिलायी जायेंगी ।

श्री प्रभूनारायण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विकलांग वर्ष में जिस व्यक्ति को शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में नियुक्ति की गयी है, यदि वह न्यूनतम योग्यता से विभूषित था और उस योग्यता के रहते हुए उनको विधिवत नियुक्ति की गयी, तो उनके वेतनमान में इस प्रकार की सीलिंग लगाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उन्हें पूर्ण वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी ?

नोट--अल्पसूचित प्रश्न सख्या-2 श्री श्याम लाल बाजपेयी की रुचि पर लिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि इस व्यक्ति की बाबत विश्वविद्यालय को लिखा गया था, और आप स्वयं जानते हैं कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त-शासी संस्था है, आटोनोमस बाडी है। उसके कामों में सरकार सीधे तरीके से कोई इंटरफियर नहीं कर सकती। जब हमने वहां को लिखा, तो उन्होंने अपने तरीके से कोई स्वीकृति नहीं दी, परन्तु उन्होंने यह कहा कि शासन अगर इस तरह की कोई पोस्ट क्रियेट कर देता है, जगह बना देता है, किसी मानदेय के ऊपर तो आपत्ति नहीं होगी। चूंकि वह एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर, यह चीज की गयी, तो वह इस वजह से उसको ग्रेड्स और तमाम चीजों की जो औपचारिकतायें थी, वह पूरी नहीं की गयी। मानदेय के तौर पर एक हजार रुपये मासिक उन्हें दिया जाने लगा है। उसके बाद शासन ने विश्वविद्यालय को लिखा कि इसकी जगह को भी बना देना चाहिये, जिसमें नेत्रहीन व्यक्ति वह कार्य करे। क्योंकि जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार उनका कार्य जो है, वह संतोषजनक है। उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। उस कार्यवाही के हो जाने के बाद मान्यवर, यह सारी विसंगतियां जो हैं, वह समाप्त हो जायेंगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने एक नेत्रहीन के प्रति जो सहानुभूति दिखायी है और जो उसको सुविधा दी है, उसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूं। परन्तु, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अन्य विश्वविद्यालयों में, उस शिक्षा योग्यता के जो लोग हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के नेत्रहीन लोगों को अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे? दूसरे, क्या मन्त्री जी आपने सद् प्रयासों से उस नेत्रहीन अध्यापक को, एक अध्यापक जैसा स्तर प्रदान करने के लिये, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र लिखने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक माननीय बाजपेयी जी के प्रश्न का पहला हिस्सा है, शासन का बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा है विकलांगों के प्रति और इसमें जो भी उनकी मदद के सम्भव प्रयास होंगे, किये जायेंगे। जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, मैंने निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय को हम केवल संस्तुति ही कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सेलेक्शन बोर्ड है, सेलेक्शन कमेटी है। यह विशेष परिस्थितियां हैं, इसमें इस बात का प्रयास किया जायगा कि विकलांगों की सहायता की जाय और साथ ही विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर कोई बात न आये।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

शासन, विश्वविद्यालय को किसी भी विषय को खोलने का एफीलियेशन देता है, मान्यता प्रदान करता है और वित्तीय सहायता देता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के विकलांगों का निश्चित सीमा तक कोटा निर्धारित करके क्या विश्वविद्यालयों में उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आप देख रहे हैं, यह बहुत व्यापक प्रश्न है। मैंने सरकार का जो रवैया है, दृष्टिकोण है विकलांगों के प्रति, वह बताया। अपनी वित्तीय सीमाओं को देखते हुए जो कुछ भी उनकी सम्भव सहायता होगी, की जायगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देवरिया जनपद के नदी तट से बालू निकालने के आदेश पर रोक

*1---श्री विश्वनाथ (अनुपस्थित)---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या एस0 3593/11/18-12-142/75, दिनांक 16-6-1969 का कार्यान्वयन शासन ने रोक दिया है जिसके तहत देवरिया जनपद के मल्लाह शिकार माही तथा नदी तट से बालू निकालने के अधिकार से वंचित हो गये हैं ? क्या यह सत्य है कि इसे पुनः लागू करने हेतु नाविक जल मजदूर मत्स्य जीवी सहकारी समिति सलेमपुर, देवरिया 24 फरवरी, 1984 से जिलाधिकारी के निवास पर आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

सिंचाई एवं उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

जी हां, मासले से सम्बन्धित शासनादेश 14 जून, 1979 का है और उसका कार्यान्वयन विधिक कठिनाइयों के कारण शासनादेश संख्या 5676/18/12-199-83, दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 द्वारा पूरे प्रदेश में रोक लगा दिया गया है, न कि केवल देवरिया जिले में । यह सही नहीं है कि उक्त आदेश को पुनः लागू कराने हेतु नाविक जल मजदूर मत्स्य जीवी सहकारी समिति सलेमपुर जिला देवरिया, 24 फरवरी, 1934 से आमरण अनशन कर रहे हैं ।

श्री राम दत्त पन्त आयल एन्ड फ्लोर मिल बिल्लेश्वर महादेवन, पोस्ट जालली (अल्मोड़ा) यूनिट को बिजली चक्की हेतु दी गई धनराशि तथा एक मुश्त वसूली व जेल भेजने के आदेश के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

*2---श्री जसवन्त सिंह विष्ट (अनुपस्थित)---

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि श्री रामदत्त पन्त आयल एन्ड फ्लोर मिल बिल्लेश्वर महादेवन पोस्ट जालली (अल्मोड़ा) यूनिट को 1981 में 19,000 रुपये बिजली चक्की लगाने हेतु मिला ? क्या यह भी सही है कि उनको चक्की लगाने हेतु 1983 में बिजली मिली परन्तु इससे पहले ही उनको एक मुश्त वसूली व जेल भेजने के आदेश किये गये और एक मुश्त पैसा न मिलने पर चक्की को नीलाम कर दिया गया ? क्या इस अनियमितता के विरुद्ध सांसद श्री हरीशचन्द्र रावत ने 30-1-84 तथा 15-2-84 को उद्योग मंत्री को तथा श्री जसवन्त सिंह विधायक ने 22-8-83 को निदेशक, वित्त निगम, कानपुर को पत्र लिखे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में केवल सांसद श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत का पत्र दिनांक 31-1-84 प्राप्त हुआ है, जिसका उत्तर उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा उन्हें 5-3-84 को भेजा जा चुका है । प्रश्नगत अन्य पत्र प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माण-शाला, लखनऊ के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का बकाया भुगतान

*1—श्री रामगोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैरया (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाला, लखनऊ के कितने ऐसे कर्मचारी व अधिकारी हैं जिनका दिनांक 1-3-1975 से सेवा से डिसचार्ज कर दिए जाने के फलस्वरूप देय पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? इनको इतनी अवधि बीतने के उपरान्त भी पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान क्यों नहीं किया गया और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा इसका भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला, लखनऊ के 2 अधिकारियों और 3 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है । निर्माणशाला में कतिपय ठेकेदारों को जमानत से अधिक मूल्य का कच्चा माल जारी करने का मामला प्रकाश में आने तथा उक्त पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें सन्निहित होने के संदेह पाये जाने के कारण इनको पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान रोक दिया गया था । मामले में समयक विचारोपरान्त अब सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी के कागजात महालेखाकार को भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

*2—श्री धनीराम वर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

कैसरबाग डिपो में गबन

*3—श्री भीखा लाल—(अनुपस्थित)

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1975 में कैसरबाग डिपो, लखनऊ में लगभग 82,000 रुपया का गबन हुआ था और इस सम्बन्ध में तत्कालीन वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी डिपो लेखाकार व यातायात अधीक्षक और कोषाध्यक्ष को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन्होंने गबन से सम्बन्धित कर्मचारियों में से कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी श्री एम० पी० सिंह को अब स्टेशन अधीक्षक के रूप में पुनः उसी कैसरबाग डिपो में तैनात कर दिया है । यदि हां, तो इन्हें पदोन्नत करके पुनः उसी स्थान पर नियुक्त करने का क्या कारण है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)—

सितम्बर, 1975 में कैसरबाग डिपो लखनऊ में 76,690·80 रु० का गबन हुआ था । इस मामले में तत्कालीन वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, यातायात अधीक्षक, सहायक कोषाध्यक्ष निलम्बित किये गये थे । श्री एस० पी० सिंह जो उस समय कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी कैसरबाग डिपो में ही कार्यरत थे, प्रश्नगत गबन में दोषी नहीं पाये गये थे और न ही उनका स्थानान्तरण गबन के आधार पर किया गया था । श्री सिंह को अगस्त, 1980 में यातायात अधीक्षक/स्टेशन अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप आगरा क्षेत्र से अलीगढ़ क्षेत्र में तैनात किया गया था । इसके पश्चात् माह जुलाई, 1981 से उन्हें अलीगढ़ क्षेत्र से स्थानान्तरित कर लखनऊ क्षेत्र के चारबाग डिपो में तैनात किया गया था । इस समय वे दिनांक 27-9-83 से कैसरबाग डिपो में तैनात हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गबन हुआ है, गबन को स्वीकार किया है और जिस अधिकारी को ओर इंगित किया गया है, कह दिया कि वह नहीं था। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस गबन में कौन-कौन से अधिकारी थे, जिनके विरुद्ध विभागीय या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हुई ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, एक एफ0 आई0 आर0 24-9-75 को थाना वजीरगंज में लिखायी गयी और दोनों सहायक कैशियर पुलिस के हवाले कर दिए गए और उनके ऊपर चार्ज-शीट लगायी गयी और अब मुकदमा अदालत में चल रहा है। ए0 आर0 एम0 कैसरबाग श्री दीक्षित से जांच की गयी। सीनियर स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री वी0 पी0 एन0 सिंह से जांच की गयी और एस0 एस0 आई0 श्री जोशी से जांच की गयी और दोनों सहायक कैशियर मल्होत्रा और यादव की जांच की गयी और उनको दोषी पाया गया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उनका मामला अदालत में विचाराधीन है। श्री मलिक, आर0 एम0 तथा जे0 एस0 आई0 श्री एस0 पी0 सिंह से भी जांच की गयी।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

ठीक है, मान्यवर। मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार और गड़बड़ी है जिसके कारण यह विभाग पैरालाइज्ड हो गया है और मालूम होता है कि यह चलने वाला नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस विभाग की कार्य प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए और सही दिशा प्रदान करने के लिए क्या आप विशेष जांच सेल बनायेंगे जिससे कि सारे भ्रष्टाचार प्रकाश में आ जाये और विभाग को सही रूप दिया जा सके।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, इस समय जो भी साधन है, पूरी जांच की जा रही है। बहुत कड़ाई से हर चीज को देखा जा रहा है। मैं किसी जांच सेल की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

प्रदेश में टैक्सियों, मिनी बसों एवं बसों के अवैध रूप से चलाये जाने का कारण तथा क्षति

*4--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में 44,000 टैक्सियों, मिनी बसों एवं 128 बसों के अवैध रूप से चलाए जाने के कारण 3 करोड़ 65 लाख से अधिक धन की सरकारी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इनको परमिट न देने का क्या कारण है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

यह जानकारी नहीं है कि प्रदेश में 44,000 टैक्सियां अवैध रूप के चलायी जा रही हैं। प्रदेश में 10,227 टैक्सियां पंजीकृत हैं जिनमें में 5,786 टैक्सियों के परमिट दिये गये तथा बिना परमिट के वाहनों की संख्या 1,583 है वर्ष 1983 में बसों, मिनी बसों व टैक्सियों के अवैध रूप के चलने पर 7,577 वाहनों के चालान किये गये।

दिनांक 31-8-81 को अधिसूचना द्वारा मेटाडोर स्टैन्डर्ड 20, हिन्दुस्तान ट्रेकर, डीजल जीप एवं महेन्द्रा एफ0 सी0 360 डी टाइप वाहनों को टैक्सी परमिट दिये जाने अथवा उनके नवीकरण करने पर रोक लगा दी गई थी किन्तु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर 12

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 3 श्री श्यामलाल बाजपेयी की रुचि पर लिया गया।

1984 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब इन वाहनों को भी ठेकागाड़ी (मोटर कैब) परमिट अनुमन्य हो गये हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । उन्होंने कागजी आंकड़े जो उन्हें सरकार से प्राप्त हुये हैं, वे पढ़कर सुना दिये । वह तो ठीक है मगर क्या माननीय मंत्री जी वास्तविकता और मेरी जानकारी को सही मानकर इसे स्वीकार करेंगे, प्रदेश की बात तो जाने दीजिये, वह तो बहुत बड़ा है, कि लखनऊ की नाक के नीचे बाराबंकी जनपद के अन्दर 26 स्थानों में अवैध बसों, मिनी बसों और ट्रेकरों के द्वारा केवल एक पुलिस अधीक्षक 35 हजार रुपये कमा लेता है और अन्य स्थानों से मिलाकर 2 लाख रुपया कमा लेता है, जिससे प्रदेश के राजस्व की हानि हो रही है । इस राजस्व की हानि को बचाने के लिये और सरकार के कोष को बढ़ान के लिये, पुलिस की आमदनी को रोकने के लिये क्या उन सभी बसों के चलाने वालों को आप परिवहन निगम में अनुबन्धित करेंगे और उन्हें परमिट देकर राजकोष को बढ़ाने के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेंग ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, जिस चीज के बारे में माननीय बाजपेयी जी ने जिक्र किया है, उसी को सुविधा देने के लिये और करवंचना को रोकने के लिये जो सूचना दी गई है कि 12 मार्च, 1984 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिससे उनको मौका दिया जा सके और ये लोग नियमानुसार अगर अपनी गाड़ियां चला सकें और अवैध संचालन बन्द कर सकें । साथ ही साथ विशेष चेकिंग दस्ते भी कार्य कर रहे हैं और पुलिस के साथ और परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग से मिलकर स्पेशल दस्ते बहुत बड़ी चेकिंग कर रहे हैं । जैसा आपने देखा कि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष ज्यादा चालान हुये हैं और आमदनी भी बढ़ी है । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी भी, जो हमारे हैं, वे भी जगह-जगह पर मीटिंग कर रहे हैं और कमिश्नर लेबुल में और प्रत्येक मंडल में जाकर प्रबन्ध कर रहे हैं ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि कुछ बसें ऐसी चल रही हैं जिनको टूरिस्ट बसों का परमिट मिला हुआ है और वे दिल्ली से प्रदेश के विभिन्न भागों में जाती हैं जहां कोई टूरिस्ट सेन्टर नहीं है, उनके पास मात्र परमिट है और रास्ते में लोकल पैसेन्जरों को लेते हुये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन बसों से होने वाली राजस्व की हानि को मद्दे-नजर रखते हुये शासन जांच करके कार्यवाही करेगा ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य जेतली जी अगर ऐसी कोई सूचना देंगे तो हम तुरन्त उनका संचालन भी रोकेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करेंगे ।

श्री पंचानन राय—

माननीय मंत्री जी जिस मोटर पर चलते हैं उसमें काला शीशा लगा हुआ होता है और उनको बाहर की चीज दिखाई देती है लेकिन बाहर वाले को वे नहीं दिखाई देते हैं । आपने भी देखा होगा पूरे प्रदेश में किसी भी सड़क पर चले जायं तमाम जीप, तमाम ट्रैक्टर, मिनी बसेज और बसेस बड़े पैमाने पर सवारियां ढोती हुई दिखाई देती हैं । तो मैं जानना चाहता हूं, जो व्यावहारिक रूप में पूरे प्रदेश में कानून का उल्लंघन हो रहा है और प्रदेश को रेवेन्यू की हानि हो रही है जिसे मंत्रीगण अपनी आंखों से देख रहे हैं और नौकरशाही झूठा उत्तर दे देती है, जिसे पढ़ने के लिए आप बाध्य हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यावहारिक स्थिति को

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 4 श्री श्यामलाल बाजपेयी की रुचि पर लिया गया ।

ध्यान में रखते हुए सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि न हो सके और जो पचासों आदमी आए दिन दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, वह भी रुक सके ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

जैसा मैंने अपने उत्तर में माननीय सदस्य की सेवा में प्रस्तुत किया था कि इसमें हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और इसे सुदृढ़ करने जा रहे हैं। जहां तक अपने काले शीशे की गाड़ी की बात कही तो जैसा आपने आदेश मुझ नाचीज को दिया था, मैं सादे वेश में काले शीशे की गाड़ी के बिना जहां भी ऐसी सम्भावनायें थीं, गया और मैं आश्वासन दे रहा हूं कि आप इस वर्ष इसके रिजल्ट देखेंगे तो संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आमदनी बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि जिस विभाग के वह मंत्री हैं, उसी परिवहन निगम का मैं निदेशक हूं, तो दाई से पेट क्या छिपाना। असलियत मुझे मालूम है। जो आंकड़े हैं उनको एक तरफ रख कर क्या माननीय मंत्री जी इस आदरणीय सदन में स्पष्ट कहेंगे कि जिस चीज से पुलिस को आमदनी हो रही है उनको रोकने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था करेंगे कि जो अवैध बसें कही जाती हैं, उनको परमिट देकर या उनका परिवहन निगम में अनुबंधित करके चलाने की घोषणा करेंगे और जो माननीय सदस्य ने कहा उनको ध्यान में रखते हुए आप कहीं और न जायं। कैसरबाग बस स्टेशन करीब है, आप कैसरबाग बस स्टेशन पर चले जायं। आपकी बसें खड़ी रहती हैं तथा खाली जाती हैं और बाहर प्राइवेट गाड़ियां सवारियां भर-भर कर बैठाती हैं तो उसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी परिवहन विभाग और पुलिस विभाग में तालमेल बैठा कर कोई प्रभावकारी योजना की घोषणा करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

जैसा मैंने अभी सदन में प्रस्तुत किया था कि इसके लिए हम कड़े कदम उठा रहे हैं, प्रभावशाली योजना बनायी जा रही है। जहां तक कैसरबाग बस स्टेशन की बात माननीय बाजपेयी जी ने कही जो मेरे बड़े भाई के समान हैं। अभी कुछ दिन हुए मैं रात्रि को कैसरबाग बस स्टेशन गया था और निरीक्षण किया था और देखा था और कोई शिकायत नहीं मिली कि गाड़ियां भरी हुई जा रही हैं। लेकिन फिर भी बाजपेयी जी का कहना मेरे लिए आदेश है। इस पर मैं गम्भीरता से विचार करूंगा। इस सम्बन्ध में हम कड़े कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय मंत्री जी बड़े मधुर भाषी हैं और कड़े कदम उठाने की बात बार बार कर रहे हैं। जो वह सदन के पटल पर कड़े कदम उठाने की बात कह रहे उसकी सराहना करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा, कड़े कदम उठा रहे हैं। तो वह पहली बात यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी ट्रैफिक बसें या टैक्सीज अनियमित रूप से चलते हुए प्रदेश में पकड़ी गयी हैं ?

माननीय, दूसरी बात मैं जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं कि दिल्ली से बढ़नीपुर फैजाबाद-अकबरपुर होकर कितनी बसें चल रही हैं जो टूरिस्ट परमिट पर हैं किन्तु लोकल ट्राफिक उठाती हैं। तो कड़े कदमों के तहत ऐसी कितने बसें पकड़ में आयी हैं। या यह माना जाए कि सदन में ऐसी घोषणा करते हैं और उनका पालन बाहर नहीं होता है। इसलिए यह मंत्री जी बता दें कि ऐसी कितनी गाड़ियां पकड़ी गयीं ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

माननीय, उत्तर में अभी हमने यह भी पढ़ा था कि वर्ष 1983 में बसें, मिनी बसें और टैक्सियां जो अवैध रूप से चलीं

वह 7,577 हैं और उनका चालान किया गया। कुछ सूचना अभी माननीय सदस्य ने दिया है कि दिल्ली से फैजाबाद-बूढ़नपुर-अकबरपुर जाती है, तो माननीय सदस्य को मैं आश्वासन दे रहा हूं कि जैसे ही मैं सदन से उठकर दफ्तर में पहुंचूंगा, तुरन्त ही इसके जांच के आदेश दूंगा और उसके परिणाम आपको बताऊंगा।

[बुधवार 18 अप्रैल, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*1—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित।]

तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद में टोन्स लिफ्ट से सिंचाई तथा बिजली पर्याप्त न मिलने के कारण कार्यवाही

*2—श्री रेवती रमण सिंह—
(अनुपस्थित)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद में टोंस लिफ्ट से सिंचाई की जाती है लेकिन बिजली पर्याप्त न मिलने के कारण पानी नहीं मिल पाता है जिससे किसानों की फसलें सूख जाती हैं ? यदि हां, तो उस पर सिंचाई विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

विद्युत आपूर्ति में कमी-कभी अवरोध होने के कारण टोंस नहर प्रणाली के टेल पर स्थित कुछ ग्रामों की सिंचाई प्रभावित होती है।

विद्युत की आपूर्ति नियमित बनाए रखने हेतु विभाग द्वारा विद्युत विभाग से निरन्तर सम्पर्क रखा जा रहा है और यदि पानी की कमी के कारण फसलें सूख जाती हैं तो प्रभावित कृषकों को सोख्त दी जाती है। सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार टोंस नहर प्रणाली को बेलन नहर प्रणाली से भी पानी उपलब्ध कराया जाता है।

गांवों में अवैध शराब बनाने को घरेलू उद्योग घोषित किये जाने की मांग

*3—श्रीमती गौरी देवी—
(अनुपस्थित)

क्या सरकार को जानकारी है कि गांवों में अवैध शराब बनाने का धंधा होता है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध शराब निर्माण को घरेलू उद्योग घोषित करके प्रदेश में लगभग सवा लाख परिवार जो इस धंधे में जीवन यापन करते हैं और प्रतिदिन छः लाख पैंतीस हजार लीटर से अधिक शराब का निर्माण करते हैं उन्हें एक नियोजित जीवन बिताने के लिए उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत अभियन्त्रण अधिकारियों की ज्येष्ठता का उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय

*4—श्री रियासत हुसैन—
(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत अभियन्त्रण अधिकारियों की ज्येष्ठता माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19 अगस्त, 1980 में निहित आदेशानुसार न दिए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत अभियंत्रण अधिकारियों की ज्येष्ठता सम्बन्धी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19 अगस्त, 1980 की जानकारी शासन को नहीं है ।

परवीन नदी से खटीमा क्षेत्र के आस-पास के गांवों में भूमि का कटाव

*5—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परवीन नदी से खटीमा क्षेत्र के आस-पास के गांवों में जो भूमि का कटाव हो रहा है उससे काफी खतरा पैदा हो गया है ? क्या इस नदी के कटाव का किसी सरकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस कटाव को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, यह सूचना दो साल से एकत्रित की जा रही है । हमारे प्रदेश के अधिकारी हों या जिले के अधिकारी हों, मंत्री जी को गलत सूचना देते है । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी कैसे मान लेते हैं । मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति का क्षेत्र है, हमको 25 ट्यूब वैल भी दिये हैं । अधिकारी वर्ग की तरफ से इस क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है । क्या माननीय मंत्री जी खटीमा क्षेत्र तथा आस-पास के गांवों में एक दल भेजकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं । परवीन नदी के के आस-पास के गांवों में जो भूमि का कटाव हो रहा है, मैं कहूंगा अधिकारियों से कि स्वयं जांच करें और जो भी समाधान हो, करें ।

*6—डाक्टर बृज किशोर सिंह—

[11वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

सिंचाई विभाग में वरिष्ठता क्रमांक 183 व 184 पर नामांकित फोरमैन की सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पद पर पदोन्नति

*7—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1984 में विभागीय तदर्थ प्रोन्नति के समय वरिष्ठता क्रमांक 183 व 184 पर नामांकित फोरमैन को सहायक यांत्रिक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों, जबकि इनसे कनिष्ठ अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर दी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

वरिष्ठता सूची के क्रमांक 183 व 184 पर अंकित अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पदों पर तदर्थ पदोन्नति शासनादेश संख्या 493/दो-84/23-सि-2/137/83, दिनांक 14-2-84 के द्वारा कर दी गयी है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन् उत्तर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो निर्णय लिया गया है पदोन्नति क , वह कब लिया गया है और इसमें आदेश कब प्रसारित किये गये हैं, यह प्रश्न स्वीकार करने से पूर्व या बाद में ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह आदेश 14-2-84 को किये गये हैं और यह आदेश वहां भेज दिये गये हैं, आप देख लीजिएगा ।

*8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित]

*9—श्री राम चन्द्र—

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में लेखों का आडिट

*10—श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हिसाब-किताब का पिछले तीन सालों से कोई आडिट नहीं हुआ है तथा जो विगत वर्षों में आडिट पार्टी द्वारा अनियमितताओं एवं आपत्तियों का उल्लेख किया गया था उन आपत्तियों का भी बोर्ड ने अभी तक निस्तारण नहीं कराया है ? यदि हां, तो आडिट तथा आपत्तियों का निराकरण न कराने के क्या कारण है ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखों का आडिट केवल वर्ष 1982-83 से बकाया है ।

वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के आडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्राम हथवड़ ताल की जमीन का बूढ़ी राप्ती नदी से कटान

*11—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्राम टथवड़ ताल की जमीन बूढ़ी राप्ती नदी के कटान से बराबर कट रही है जिसके कारण गांव के किसानों खासकर हरिजनों के घर कटकर नदी में गिरने का भय हो गया है ? तो क्या सरकार नदी की कटान रोकने की व्यवस्था आगामी बरसात के पहले करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्राम हथवड़ ताल (टथवड़ताल नहीं) की जमीन बूढ़ी राप्ती नदी के कटान से प्रभावित होने के विषय में सर्वेक्षण किया जा रहा है । तदनुसार परियोजना तैयार की जायेगी और तदुपरान्त मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है, यह काम कब से शुरू हुआ है और कब तक खत्म होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निश्चित तारीख तो मालूम नहीं कि यह सर्वेक्षण कार्य कब से शुरू हुआ है। लेकिन सर्वेक्षण कार्य तेजी से हो रहा है और लगभग 6 माह के अन्दर पूरा हो जायेगा ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जो कटान को रोकने की व्यवस्था की गयी है, क्या वह बरसात से पहले पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य ने जो कटान की बात कही है, वह एक ऐसी चीज है जिस पर काबू पाया नहीं जा सकता है । एक जगह ठीक अगर किया जाए तो दूसरी जगह कटान हो जायेगा । इसलिए यह कह देना कि बरसात तक या बरसात से पहले-पहले कटान रोकने का काम खत्म कर दिया जायेगा, मुश्किल है ।

विकास खंड हसेरन के अन्तर्गत लाख-बहोसी झील के पास बांध बनाने की योजना को स्वीकृत

*12—कुंवर योगेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड हसेरन के अन्तर्गत

लाख-बहीसी झील के आस-पास बसें 12-13 ग्राम जो प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में पानी की बाढ़ से प्रभावित होकर तबाह होते हैं जिनको सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक बांध बनाने की योजना जिला योजना में स्वीकृत हुई थी और उसके लिए 5 लाख रुपए भी स्वीकृत हुआ था और कुछ कार्य प्रारम्भ करने के बाद क्यों रुका हुआ है ? क्या उस योजना को पूर्ण कराया जायगा ? यदि, हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यवर, फिलहाल तो इसमें सूचना एकत्र की जा रही है लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि कुछ लोग बांध बनाने के इच्छुक हैं तो मैं इसको दिखवा लूंगा और जो भी सम्भव होगा वह किया जायेगा ।

यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन में घाटा तथा उसका कारण

*13--श्रीमती घनेश्वरी देवी (अनुपस्थित)

क्या सरकार को जानकारी है कि यू0 पी0 स्टेट सीमेंट कारपोरेशन ने 1982-83 में लगभग 11 करोड़ का लाभ और 1983-84 में दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में लगभग 7 करोड़ का घाटा दिखाया ? यदि हां, तो इस घाटे का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन ने 1982-83 के सम्पूर्ण वर्ष में 10 करोड़ 94 लाख का नकद लाभ अर्जित किया था । परन्तु 1983-84 में दिसम्बर, 1983 तक की अवधि केवल 1 करोड़ 16 लाख की नकद हानि दिखाई है न कि 7 करोड़ की । घाटे के निम्न कारण हैं :

(1) उत्पादन सामग्री जैसे कोयला, जिप्सम, विद्युत् की कीमतों में बढ़ोतरी तथा सीमेन्ट बेज बोर्ड द्वारा बढ़ाया गया श्रमिकों का वेतन ।

(2) खराब कोयले के कारण उत्पादन में कमी तथा यन्त्रों में खराबी ।

(3) चुर्क के पुराने कारखाने में विशाल मरम्मत के कार्यक्रम का हाथ में लिया जाना । डाला इकाई में क्रशर, रोप वे तथा रा-मिल में यांत्रिक खराबियां तथा कजराहट स्थित चुनार के भट्टों में यांत्रिक खराबियां जिनको मरम्मत अथवा नवनिर्माण करने का कार्य हाथ में लिया गया है ।

(4) लेवी सीमेन्ट के प्रतिधारित मूल्य (रिटेन्सन प्राइस) में फरवरी, 1982 के बाद कोई वृद्धि न होना जिसके फलस्वरूप उत्पादन का अधिकांश भाग घाटे पर बेचा जा रहा है ।

(5) चुनार फैक्ट्री को कजरहट स्थित भट्टों को 1-4-1983 से पूंजी खाते में से निकालकर रेवन्यू खाते में डाला जाना ।

*14--श्री धरमपाल--

[दिनांक 21-3-1984 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित ।)

जनपद आगरा की तहसील किरावली की कीठम माइनर को आगे बढ़ाने हेतु कृषकों का पत्र

*15--श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सींगना, बुजुर्ग, नगलारेती की कीठम माइनर को आगे बढ़ाने हेतु जुमसेना के हजारों किसानों का एक प्रार्थना-पत्र इंका सांसद श्री निहाल सिंह

द्वारा संस्तुत भी किया गया है, माह मार्च, 1983 के बाद प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन के सामने इस माइनर को आगे बढ़ाने में क्या कठिनाइयां हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। अगरा नहर प्रणाली के अधिकृत सिंचित क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण कीठम माइनर की लम्बाई बढ़ाना सम्भव नहीं है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज लखनऊ में कथित भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं संबंधी जांच

16--श्री तपेश्वर (अनुपस्थित)--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 129 व 137 के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच पूरी करने में अप्रत्याशित विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं, जांच आख्या कब तक प्राप्त होने की आशा है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में संचालित सामूहिक सिंचाई योजनाएं

17--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा कितनी सिंचाई योजनाएं इस समय संचालित की जा रही हैं ? क्या इन योजनाओं के संचालन से प्राप्त आय एवं उनकी सम्पत्ति निगम के खातों में अंकित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विशेष समन्वित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के कृषकों के आर्थिक विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से सामूहिक सिंचाई योजनायें जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला समन्वय समिति के निर्देशानुसार चलाई जा रही है। जहां पर कोई अन्य संस्था उसके रखरखाव के लिये तैयार नहीं होती है वहां इन योजनाओं का हस्तांतरण, रख-रखाव के लिये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 की जनपदीय इकाई को कर दिया जाता है। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनवरी, 1984 तक सभी जनपदों में 2558 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। निगम को हस्तान्तरित सिंचाई योजना का स्वामित्व देने का आदेश शासन द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1984 को दिया गया है, तत्पश्चात् निगम के सम्पत्ति रजिस्टरों में योजनाओं को अंकित कराने तथा उससे सम्बन्धित आय के लेखा जोखा तथा अभिलेखों के रखने की कार्यवाही की जा रही है।

*18--श्री जयदीप सिंह बरार--

[28वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मन्त्रि परिषद् द्वारा हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग को अलग करने का निर्णय

*19--श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रि परिषद् द्वारा मार्च, 1981 में हरिजन

कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग को अलग-अलग किये जाने के लिए किये गये निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? ादि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गोपाल राम दास)--

मन्त्रि परिषद् द्वारा जनवरी, 1981 में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को अलग करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी तक सम्भव नहीं हो पाया ह । ऐसी दशा में उक्त निर्णय पर पुनः विचार किया जा रहा हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, में मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब दोनों विभाग एक साथ रहने पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा हैं कि समाज कल्याण विभाग को स्पष्ट रूप से अवहेलना की जा रही हैं क्योंकि इसके मार्फत बेसहारा और विधवा को पेंशन देने की एक विशेष योजना हैं । मुझे जौनपुर जनपद की निश्चित जानकारी हैं कि गत 3 वर्षों के अन्दर समाज कल्य ण विभाग द्वारा एक भी बेसहारा और विधवा को पेंशन नहीं दी गयी और इसलिये क्या मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि हरिजन विभाग और सम ज कल्याण विभाग दोनों को अलग-अलग कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक प्रश्न का उत्तर तो यह हैं कि यह बात जो कही कि मेरी जानकारी में हैं, तो यह सत्य से परे हैं कि एक भी विधवा को पेंशन नहीं दी जा रही हैं । मान्यवर, वर्ष 1983-84 तक लगभग 10 हजार विधवाओं को पेंशन दी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में और 1983-84 के ही अन्त में यह निर्णय लिया गया कि 10 हजार और विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था की जा रही हैं और प्रयास किया जा रहा हैं । देर जरूर लगती हैं चूंकि आय का प्रम ण-पत्र और विधवा का प्रमाण-पत्र आदि चीजें होनी चाहिये । दिक्कत यह होती हैं कि यह महिलायें प्रमाण-पत्र तहसील से नहीं ला पाती हैं, तो उनके फार्म्स रेजेक्ट हो जाते हैं । मेरा अपने विधायकों से निवेदन हैं कि इसमें वह अपना सहयोग प्रदान करें और जरूरत मंदों को प्रमाण-पत्र दिलवाकर निर्धारित प्रपत्र पर भिजवा कर प्रेषित करें, जिससे इन बेसहारा महिलाओं को अधिक सहायता मिल सके । में इसका आश्वासन देती हूं कि जहां तक विभाग को अलग-अलग कर देने के सवाल हैं, यह बात ठीक नहीं हैं कि समाज कल्याण विभाग उपेक्षित हैं । पूरा प्रयास किया जा रहा हैं कि हम ज्यादा लोगों को मदद दें । अलग करने के सम्बन्ध में विचार हुआ था शासन में, लेकिन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण हम इन दोनों विभागों को अलग-अलग नहीं कर सके हैं ।

श्री हरदेव--

में मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग पर शासन की ओर से कम बजट खर्च हो रहा हैं, तो क्या वह शासन की ओर से अतिरिक्त धन की उस विभाग के लिए मांग करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जहां तक हरिजन विभाग का सम्बन्ध हैं, इसके व्यय के बारे में मैंने बजट प्रस्तुत करते समय बताया था । आयोजनागत में 64 करोड़ 56 लाख, आयोजनेत्तर में 28 करोड़ 34 लाख 58 हजार हैं । इसमें जो अनुसूचित जाति की सहायता करते हैं वह आयोजनागत में 45 करोड़ 6 लाख

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 श्री प्रभू नाराण सिंह की रुचि पर लिया गया ।

1 हजार एवं आयोजनेतर में 25 करोड़ 16 लाख 46 हजार हैं। अब जो समाज कल्याण में हैं, आयोजनागत में 9 करोड़ 56 लाख और आयोजनेतर में 3 करोड़ 15 लाख 95 हजार हैं। धरमार्थ में 95 हजार हैं और सामाजिक सुरक्षा में 87 हजार हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने संसाधनों से अधिकाधिक विधवाओं, बालकों व विकलांगों की सहायता कर सकें।

*20—श्री विश्वनाथ—

[11वें बुधवार के लिए स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

प्रयोगशाला सहायक एवं परिगणक के पदों को प्रतिरूप सहायक के पदों में विलयन की मांग पर विचार

1—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक संघ सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल प्रयोगशाला सहायक एवं परिगणक के पदों के प्रतिरूप सहायक के पदों में विलयन के सम्बन्ध में 23 जून, 1977 व 12 मई, 1980 व 24 अप्रैल, 1981, 4 सितम्बर, 1981, 16 अक्तूबर, 1981, 6 मई, 1982, 20 जुलाई, 1982 को क्रमशः सचिव, सिंचाई विभाग, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग तथा सचिव, सिंचाई विभाग से मिला है? यदि हां, तो उक्त संघ को क्या आश्वासन दिया गया है? क्या सरकार शीघ्र इसका निराकरण करने पर विचार करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वैधानिक संघ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि, शासन स्तर पर सिंचाई विभाग के विभिन्न अधिकारियों से समय-समय पर मिलते रहे। प्रयोगशाला सहायक एवं परिगणक के पदों को प्रतिरूप सहायक के पदों में विलयन की मांग के सम्बन्ध में उन्हें बताया गया था कि उस पर विचार किया जा रहा है। यह मांग अभी शासन के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

कार्यशाला स्थापन खंड सीतापुर में नैतिक कोटि लिपिकों की कथित नियुक्ति

2—श्री रजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के अधीन कार्यशाला स्थापन खंड सीतापुर में नैतिक कोटि लिपिक के कितने पदों की नियुक्ति हेतु माह नवम्बर, 83 से जनवरी, 84 के बीच सेवायोजन कार्यालय, सीतापुर से अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये तथा उन पदों पर किस-किस व्यक्ति की नियुक्ति की गयी है? यदि नियुक्ति नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यशाला स्थापना खंड, सीतापुर में नैतिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति हेतु, माह नवम्बर, 1983 से जनवरी 1984 तक सेवायोजन कार्यालय, सीतापुर

से नाम नहीं मांगे गये थे और न उन पदों पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गयी ।

3—श्री विद्या सागर नौटियाल—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

परिवहन निगम की यात्री बसों में पत्रकारों को यात्रा करने की सुविधा की मांग

4—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उ0 प्र0 जर्नलिस्ट एसोसियेशन गत दो वर्षों से शासन को प्रस्ताव भेज कर यह मांग कर रही है कि उ0 प्र0 में भी म0 प्र0 की तरह पत्रकारों को मात्र मान्यता कार्ड दिखा कर परिवहन निगम की यात्री बसों में यात्रा करने की सुविधा यात्री कर आदि लिये बिना दी जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन कब तक निर्णय कर लेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

उ0 प्र0 जर्नलिस्ट एसोशियेशन द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसके अनुसार उ0 प्र0 में भी मध्य प्रदेश की तरह पत्रकारों को मात्र मान्यता कार्ड दिखाकर परिवहन निगम की यात्री बसों में यात्रा करने की सुविधा यात्रीकर आदि लिये बिना ही दी जाय । निगम स्तर पर इस तरह का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

5—श्री विश्वनाथ—

[दिनांक 14-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित ।]

6—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जनपद पीलीभीत में सरकार द्वारा लगाये गये उद्योग

7—श्री रियाज अहमद—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि पीलीभीत जनपद में अब तक कितने उद्योग सरकार द्वारा लगाये गये हैं ? क्या कोई भारी उद्योग लगाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह

जनपद पीलीभीत में दो चीनी मिलें सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत हैं । जनपद में निकट भविष्य में कोई उद्योग लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ?

8—श्री शंकर सिंह—

[11 वें बुधवार के लिए स्थगित]

9—श्री विश्वनाथ—

[11 वें बुधवार के लिए स्थगित]

10—श्री राम स्वरूप निम—

[11वें बुधवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मथुरा द्वारा हरिजनों को आवंटित धनराशि

11—श्री कन्हैयालाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन वित्त एवं विकास निगम मथुरा द्वारा श्रीमती कुसुम कुमारी पत्नी श्री सुन्दर लाल बघेल, श्रीमती भगवानदेवी पत्नी श्री प्यारे लाल, ब्राह्मण हरिश्चन्द्र पुत्र श्री लाल राम मुसलमान, अंचल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाट, नन्ही पुत्र श्री बाबू लाल माली एवं विनय पुत्र श्री राधाकिशन ब्राह्मण को, जो हरिजन नहीं है, हरिजन के नाम पर वर्ष 83-84 में अनुदान एवं ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकार के अनियमितता करने वाले कौन-कौन अधिकारी थे और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मथुरा द्वारा वर्ष 1983-84 में नन्ही पुत्र श्री बाबूलाल को अनुदान की धनराशि रु0 3000/- ओरियन्टल बैंक आफ कामर्श मथुरा के माध्यम से दिया गया है । बाकी अन्य पांच 1- श्रीमती कुसुमाकुमारी पत्नी श्री सुन्दरलाल 2- श्रीमती भगवानदेवी पत्नी श्री प्यारेलाल 3- हरिश्चन्द्र पुत्र श्री लालराम 4- अंचलसिंह पुत्र श्री हरी सिंह, 5-निकाय पुत्र श्री राधाकिशन को कोई अनुदान नहीं दिया गया है । श्री नन्ही पुत्र श्री बाबूलाल जाटव जाति के हैं । इन्हें तहसीलदार मथुरा द्वारा जाति प्रमाण-पत्र दिया गया है जो इनकी पत्रावली में संलग्न हैं और इनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी दिया गया है कि "मैं जाति से अनुसूचित जाति का ही सदस्य हूं ।" अनुदान देने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

12—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[1बें बुधवार के लिये स्थगित]

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित पालिटेक्निकों में इलेक्ट्रानिक्स के लिए नवीन पाठ्य-क्रम चलाने हेतु पत्र

13—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि संयुक्त सचिव, पर्वतीय विकास अनुभाग-7 ने अ0 शा0 पत्र बी 72/28-75-83, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित पालीटेक्निकों में इलेक्ट्रानिक के लिए नवीन पाठ्यक्रम चलाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र प्राप्त किया था ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने विस्तृत योजना बनाकर क्रियान्वित करने हेतु गहन विचार गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

जी हां । पर्वतीय क्षेत्र में 9 बहुधंधी संस्थाओं में से 3 बहुधंधी संस्थाओं- नरेन्द्रनगर, गोचर तथा नैनीताल में इलेक्ट्रानिक्स का पाठ्यक्रम चल या जा रहा है । इसके अतिरिक्त द्वाराहाट (अल्मोड़ा) बहुधंधी संस्था में इलेक्ट्रानिक्स का पाठ्यक्रम वर्ष 1984-85 से प्रारम्भ किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ।

अल्मोड़ा जनपद की बागेश्वर तहसील के अन्तर्गत लोत शामा, रमाड़ी एवं भनार पेयजल योजना बनाये जाने का प्रस्ताव

14--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद की बागेश्वर तहसील के अन्तर्गत लोती शामा रमाड़ी एवं भनार पेयजल योजना बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक योजना का निर्माण आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां, भनार ग्राम को छोड़कर, चूंकि इस नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1984-85 में प्रारम्भ होगा ।

15--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

16--श्री गोवर्धन तिवारी--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

17--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

18--श्री जटा शंकर सिंह--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

राज्य सड़क परिवहन निगम के नियन्त्रण में चल रही अनुबंधित बसें

19--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में कितनी अनुबन्धित बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियन्त्रण में चल रही हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने किलोमीटर प्रत्येक बस प्रति दिन चलने का प्राविधान है ? क्या यह सच है कि कुछ बसें तो निर्दिष्ट प्राविधान से अधिक दूरी चल रही हैं ? और कुछ कम क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि खरीदने हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार

20--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 5567/26/1-78-3877 दिनांक 20-11-1978 के अनुसार अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि खरीदने हेतु जिलाधिकारी को अधिकार प्रदत्त है और कुल 5 हजार रुपये देने का ही प्राविधान है ? यह रकम अपर्याप्त होने के कारण कहीं भूमि नहीं मिल रही है प्रतिवर्ष रुपये बिना प्रयुक्त हुए प्रदेश के अनेक जिलों से वापस हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इस रकम को बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । यह सही है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में 5000 रुपये प्रति एकड़ में भूमि न मिलने से धनराशि वापस हो जाती है । धनराशि बढ़ाने की दिशा में शासन स्तर पर विचार किया जायेगा ।

लोहाघाट बाराकोट सड़क के मलवे के मुआवजे के सम्बन्ध में पत्र

21—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहाघाट बारा—कोट सड़क के मलवे के मुआवजे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 19-1-1984 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक इस मुआवजे का भुगतान पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह बिष्ट द्वारा लिखे गये पत्र

22—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ की समस्याओं के विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र, उप सचिव, पर्वतीय विकास अनुभाग-4 ने अ0 शा0 पत्र संख्या पी0-278(1)/28-4/43(5)356/983, संयुक्त सचिव पर्वतीय विकास अनुभाग-5 से अ0 शा0 पत्र संख्या ए-7196/28-5/83, दिनांक 29 अगस्त, 1983 द्वारा व उप सचिव पर्वतीय विकास अनुभाग-4 ने अ0 शा0 पत्र संख्या ए-42/28-4/84-15(105)/84, दिनांक 21 फरवरी, 1984 द्वारा प्राप्त किये? यदि हां, तो इन पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य का पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1983 जनपद पिथौरागढ़ के थल नामक स्थान की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में था जिसके बारे में सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 19 जुलाई, 1983 को निर्देशित कर दिया गया था और माननीय सदस्य को पत्र संख्या ए-278(1)/28-4/83-15(356)/1983, दिनांक 19 जुलाई 1983 द्वारा तदनुसार सूचना दे दी गई थी। माननीय सदस्य का दूसरा दिनांक रहित पत्र, जो तत्कालीन पर्वतीय विकास मन्त्री जी के कार्यालय में अगस्त, 1983 में प्राप्त हुआ, रानीखेत क्षेत्र के रीचा—बिल्लेख मोटर मार्ग के विस्तार के विषय पर है जिसके बारे में आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय क्षेत्र), सार्वजनिक निर्माण विभाग को 29 अगस्त, 1683 को निर्देश दे दिये गये थे और माननीय सदस्य को पत्र संख्या 7196/28-5/83 दिनांक 29 अगस्त, 1983 द्वारा तदनुसार सूचना दे दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि रीचा—बिल्लेख, मार्ग जनपद पिथौरागढ़ में नहीं है। माननीय सदस्य का तीसरा पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 जिसमें पिथौरागढ़ जिले की पांच समस्यायें इंगित की गई हैं, पर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को 21 फरवरी, 1984 को निर्देशित कर दिया गया था और पत्र संख्या ए-42/28-4/84-15(105)/84, दिनांक 21 फरवरी, 1984 द्वारा माननीय सदस्य को भी तदनुसार सूचना दे दी गई थी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य के तीनों पत्रों, जिनमें से दो पत्र पिथौरागढ़ जनपद की समस्याओं से सम्बन्धित हैं, पर कार्यवाही हेतु शासन स्तर से निर्देश दिये गये हैं और कृत कार्यवाही की सूचना भी माननीय सदस्य को प्रेषित की गई है।

23-27—श्री राम नारायण पाठक—

[11वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

द्वादशम मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर, लखनऊ, तथा रायबरेली के समस्त खंडों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड

28--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वादशम मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली के समस्त खंडों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के लिपिक कर्मचारियों को शासन द्वारा देय सेलेक्शन ग्रेड अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मुस्लिम मुसाफिर खाना, तुलसीपुर के रजिस्टर होने तथा मुतवली हाजी रहजब अली की अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

29--श्री अकबाल हुसैन--

क्या वक्फ मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने उनको 2 अगस्त, 1982 को मुस्लिम मुसाफिर खाना, तुलसीपुर के रजिस्टर होने के सम्बन्ध में तथा मुतवली हाजी रहजब अली की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नस्तर)--

जी नहीं ।

माननीय सदस्य महोदय का एक पत्र दिनांक 3-8-82 शासन को प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत पत्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

श्री श्री निवास सिंह, इंचार्ज, देवरिया डिपो का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण न होने का कारण

30--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या परिवहन मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीनिवास सिंह, इंचार्ज, देवरिया डिपो में अपने सेवाकाल के प्रारम्भ से अब तक देवरिया में कितने वर्ष रहे हैं तथा वर्तमान समय में देवरिया में ही है ? यदि हां, तो इन्हें बार-बार देवरिया में रखने का क्या कारण है ? क्या निगम इन्हें तत्काल प्रभाव के साथ स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31--श्री सूबेदार सिंह--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

श्री सतीश चन्द्र मेहरोत्रा वैयक्तिक सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के स्थानान्तरण पर विचार

32--श्री रियासत हुसैन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे बुधवार को निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा, विधायक के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री श्री सतीश चन्द्र मेहरोत्रा, वै०य० सहा० ई० 4, कार्यालय प्रमुख अभि० सिंचाई विभाग, श्री सतीश चन्द्र जिन्हें लगभग पांच वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्य करते हो गये हैं, का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री सतीश चन्द्र मेहरोत्रा, वंयक्तिक सहायक ई-4, कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के स्थानान्तरण पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

33--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

34--श्री विश्वनाथ--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

35--श्री यदुनाथ सिंह--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

36--श्री गोवर्धन तिवारी--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

37-38--श्री राधेश्याम पटेल--

[11वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

कुमायूं, गढ़वाल तथा झांसी मन्डलों में सहायक निदेशक के सृजित पद

38--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बारह मन्डलों में से नौ मंडलों के लिए प्रथम श्रेणी के उप निदेशक के पद सृजित किए गए हैं और कुमायूं गढ़वाल तथा झांसी मन्डल के लिए सहायक निदेशक का पद सृजित करने का औचित्य क्या है ? क्या शासन इन तीनों मंडलों में भी उन निदेशक के पद स्वीकृत करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक इन पदों के स्वीकृत होने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

कुमायूं, गढ़वाल तथा झांसी तीन मन्डलों में कार्य को देखते हुए सहायक निदेशक के पद सृजित किए गए हैं । कुमायूं गढ़वाल तथा झांसी मन्डलों में सहायक निदेशक के पदों को उच्चीकृत करके उप निदेशक के पद स्वीकार करने पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

श्री राम प्यारे सिंह, जनपद वाराणसी का गाजीपुर मऊ मार्ग पर पूर्ववत बस चलाने हेतु स्थगन आदेश

40--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्यारे सिंह पुत्र श्री झालन सिंह ग्राम मुखु ड 0 पत्रालय बबुरी जनपद वाराणसी ने ग ज.पुर मऊ मार्ग पर पूर्ववत अपनी बस चलाने हेतु का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 19-2-80 आदेश संख्या 1586/81 का सक्षम प्राधिकरण उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम को दिया ? यदि हां, तो इसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दीप नारायण सिंह, ग्राम व पो0 गड़वार, जनपद बलिया द्वारा दिया गया कथित रजिस्टर्ड पत्र

41--श्री राम आसरे वर्मा, श्री माता प्रसाद पान्डेय तथा श्री कुवेर मण्डारी--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि श्री दीपनारायण सिंह, ग्राम व पो0 गड़वार, जनपद बलिया ने अपने रजिस्टर्ड पत्र सं0 382, दि0 5-3-82 जो उजागर मल, टैक्निकल आडिट सेल, लखनऊ को प्रेषित है जिसमें श्री एस0 एन0 पान्डे, जू0 इंजीनियर, सिंचाई विभाग नहर कालोनी गड़वार, जनपद बलिया के वर्ष 81-82 एवं 82-83 में देहरीघाट मुख्य कैनाल पर किए गए कार्यों की जांच कराने हेतु कहा गया है, प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो किस अधिकारी से इस आवेदनपत्र में दिए गए तथ्यों की जांच कराई गयी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

श्री वीर बहादुर सिंह--

कथित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना अधिकारी के सृजित पद पर चयन की प्रक्रिया

42-श्री यदुनाथ सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1983 में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कितने पद सृजित किए गए थे ? कितने प्रत्याशी बुलाए गए, वे और उसकी चयन प्रक्रिया क्या थी ? उन पदों पर कितने और किन-किन अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गाजियाबाद हेतु भूमि अर्जित करने का लक्ष्य

43-श्री विजयपाल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गाजियाबाद हेतु कितने एकड़ भूमि एक्वायर करने का लक्ष्य है ? जनवरी, 1984 तक कितने एकड़ भूमि एक्वायर कर ली गई है और भविष्य में कितने एकड़ भूमि एक्वायर होनी शेष है ? एक्वायर भूमि के भुगतान की दर क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गाजियाबाद) द्वारा वर्ष 2001 तक विकास करने हेतु लगभग 9716 एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य है। जनवरी, 1984 तक 6268 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा चुका है तथा भविष्य में लगभग 3448 एकड़ भूमि अर्जन करना शेष है। अब तक जो भूमि एक्वायर हो गई है उसके मुआवजे की दर विभिन्न सर्किल रेट के लिए बैनामों के आधार पर विभिन्न ग्रामों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है, जो कि 3,600 रु0 प्रति बीघा से 30,633.94 पैसे प्रति बीघा के बीच रही है।

44--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[दिनांक 30-3-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या--31 द्वारा उत्तरित।]

45--श्री सुन्दर सिंह--

[11 वें बुधवार के लिए स्थगित]

ग्राम मल्ली महरोली के ग्रामवासियों द्वारा भूमि का पंजीकरण तथा चिकित्सालय खोलने का निर्णय

46--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मल्ली महरोली के ग्रामवासियों द्वारा सन् 77-78 में स्वास्थ्य विभाग के नाम अपनी अव्वल 9 नाली भूमि का पंजीकरण किया है ? यदि हां, तो सरकार मल्ली महरोली पत्रालय बिसराखेत तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां, यह सही है कि ग्राम मल्ली महरोली के कुछ ग्रामवासियों ने अपनी भूमि का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग के

नाम कराया है । किन्तु यह पंजीकरण सन् 77-78 में नहीं वरन् 27-7-1979 को किया गया है तथा यह पंजीकरण 9 नाली भूमि का नहीं बल्कि 7 नाली 7 मुट्ठी भूमि का हुआ है । वर्तमान विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत किसी अमुक स्थान पर चिकित्सालय खोलने का निर्णय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा लिया जाता है ।

47—श्री भागीरथ—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कुआनों पम्प नहर परियोजना, बस्ती जनपद के अन्तर्गत कुओं का निर्माण तथा वर्कशाप में खरीदी गयी लेथ तथा शेपर मशीन

49—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुआनों पम्प नहर परियोजना, बस्ती जनपद के अन्तर्गत ड्रेनेज खन्ड द्वितीय बस्ती के अधीनस्थ बन रहे नए पम्प हाउस के नींव के सभी कुए टेढ़े होते जा रहे हैं ? क्या नींव के परीक्षण के लिए बोरिंग करते समय उस स्थान पर कुआं टेढ़ा होने की आशंका हुई थी और जब पहले कुआं टेढ़ा हो गया था तो अन्य कुओं के टेढ़े होने की प्रक्रिया की रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

कुआनों पम्प नहर परियोजना बस्ती जनपद के अन्तर्गत ड्रेनेज खन्ड—2 बस्ती के अधीनस्थ 5 कुओं का निर्माण किया जाना था 4 कुएं सही तरीके से लगाये जा चुके है । पांचवे कुएं को गलाने का कार्य प्रगति पर है ।

नींव परीक्षण के लिए बोरिंग, क्षेत्रीय मृदा स्थायल प्रयोग शाला, गोरखपुर का बेल-रेख में की गई थी । कुओं का व्यास अधिक होने के कारण बोरिंग के पश्चात भी गलाने के दौरान कुएं टेढ़ होने की प्रक्रिया बहुधा उत्पन्न होती रही परन्तु इनके सीधें करन के लिए आवश्यक व्यवस्था रखी जाती है । गलाये गये कुओं में भी टेढ़े होने की समस्या उत्पन्न हुई थी परन्तु वे सीधे व सही तरीके से गलाये जा चुके हैं ।

49—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि कुआनों पम्प नहर परियोजना जिला बस्ती के तहत वर्कशाप में स्थापित की गई लेथ मशीन तथा शेपर मशीन कितने-कितने रुपए में कब-कब खरीदी गयी तथा अब तक प्रत्येक मशीन लाग बुक के अनुसार कितने घंटे चलाई गयी ? यदि अभी तक उपरोक्त मशीन प्रयोग में न लाई गयी हो, तो उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुआनों पम्प नहर परियोजना बस्ती के अन्तर्गत वर्कशाप में स्थापित की गई लेथ तथा शेपर मशीन क्रमशः 53,064 रुपये तथा 57,761 रुपये में वर्ष 82-83 में खरीदी गई थी । वर्कशाप के संचालन हेतु 15 हार्स पावर के विद्युत् कनेक्शन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । पावर कनेक्शन प्राप्त होने पर इन मशीनों का प्रयोग होने लग जायेगा ।

टी० सी० (महिला) परीक्षा का घोषित परीक्षाफल तथा श्रीमती माधुरी पान्डे को दिया गया प्रशिक्षित वेतनमान

50—श्री तपेश्वर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 1 ले बुधवार को उत्तरित अता० प्र० सं० 131 के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं

समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टी० सी० (महिला) परीक्षा, 1978 का परीक्षाफल किस दिनांक को घोषित किया गया तथा श्रीमती पान्डेय को शिक्षित अध्यापिका का वेतनमान देने का प्रकरण निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को विद्यालय द्वारा सन्दर्भित किया गया था ? यदि हां, तो जब श्रीमती पान्डेय परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक को सेवारत थीं और उन्हें कार्यरत अध्यापिका के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी थी तब उन्हें परीक्षा-फल घोषित होने के दिनांक से शिक्षित अध्यापिका का वेतनमान किस नियम के अनुसार नहीं दिया गया ? 1-11-1978 से मकान किराया भत्ता का भुगतान प्रबन्धाधिकरण द्वारा क्यों रोका गया था ? अतिरिक्त महंगाई भत्ता के बकाए का भुगतान अब तक न किए जाने के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इस बकाए का भुगतान कब तक किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण से प्राप्त सूचना के अनुसार टी० सी० (महिला) परीक्षा 1978 का परीक्षाफल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 13-6-1978 को घोषित किया गया। संस्थाध्यक्ष को मार्कशीट प्राप्त होने पर 3-8-1978 को निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षित वेतनमान में वेतन देने का अनुरोध किया गया तथा निदेशालय द्वारा अध्यक्ष को इस आशय का उत्तर दिनांक 24-10-1978 को भेजा गया कि संस्था में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप निर्णय ले लें। तदुपरान्त संस्था के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार श्रीमती माधुरी पान्डेय को दिनांक 1-11-1978 से प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया।

दिनांक 1-11-78 से प्रबन्धाधिकरण द्वारा मकान भत्ता रोका नहीं गया बल्कि श्रीमती माधुरी पाण्डेय द्वारा ही जुलाई, 1979 से मकान भत्ता लिए जाने का अनुरोध किया गया और तद्नुसार उन्हें जुलाई, 1979 से मकान भत्ता दिया गया। किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं होता।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील की बरू सड़क के मार्ग पर रोडवेज की बस चलाने की मांग

51—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील की बरू सड़क जो उसका बाजार, सोहांस तथा मोहना होकर ककरहवा बाजार तक जाती है, वहां के निवासियों की सुविधा के लिए रोडवेज की बस चलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नगत मार्ग का उसका बाजार मोहाना बाया सोहांस 23 कि० मी० लम्बा भाग नवनिर्मित अराष्ट्रीकृत मार्ग है तथा मोहाना से ककरहवा 8 कि० मी० भाग राष्ट्रीयकृत है। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर पर निगम बस सेवायें संचालित हैं।

वर्तमान में उपरोक्त नव-निर्मित अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर उसका बाजार से 4 कि० मी० पर एक लकड़ी का पुल है जो कमजोर है। अराष्ट्रीय मार्ग पर बिना परमिट के निगम द्वारा सेवा नहीं चलाई जा सकती है।

मार्ग मोटरेबुल हो जाने एवं परमिट स्वीकृत होने पर निगम द्वारा बस सेवा संचालित की जा सकेगी।

दिल्ली परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय सेवाओं में विधायकों एवं सहवर्तियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा

52—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के अन्तर्गत जो

डी0 टी0 सी0 की बसें चल रही हैं, उन बसों में उ0 प्र0 के विधायकों और सहवर्ती को आरक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री गुलाब सेहरा—

दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली परिवहन निगम की अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं में उ0 प्र0 के विधायकों एवं सहवर्तियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है और न ही दिल्ली परिवहन निगम स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन है । जहां तक विधायकों के सीटों के आरक्षण का प्रश्न है, दिल्ली परिवहन निगम से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

देवहा नदी में बाढ़ से भूमि के कटाव को रोकने हेतु कार्यवाही

53—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवा नदी में जो बाढ़ आती है उससे जो कटान होता है, सरकार उस भूमि कटाव को रोकने की कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवहा नदी में बाढ़ से कभी-कभी किनारों पर कुछ कटाव हो जाता है जैसा कि स्वाभाविक रूप से अन्य नदियों में भी होता है । नदी की इस प्रवृत्ति को रोक पाना व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है । जिन स्थानों पर नदी द्वारा अत्यधिक कटाव के कारण निकटस्थ आबादी अथवा मूल्यवान सार्वजनिक सम्पत्ति को भय उत्पन्न हो जाता है वहां पर ही केवल कटाव रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किया जाता है क्योंकि इनकी लागत काफी अधिक आती है तथा साधारणतया लाभ लागत अनुपात भी काफी कम होता है

पिछले वर्षों में जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के किनारे कटाव रोकने हेतु निम्नलिखित बाढ़ सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	लागत (लाख रु0 में)	निर्माण का वर्ष
1	2	3	4
1	सतरापुर बाढ़ सुरक्षा योजना	0.38	1978-79
2	बरबाड़ बाढ़ सुरक्षा योजना	1.82	1980-81
3	नवकुन्ड बाढ़ सुरक्षा योजना	2.67	1981-82

प्रतापपुर ग्राम में काली कोंच पर बंधा व पुलिया बनाने की योजना

54—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर ग्राम में काली कोंच पर बंधा व पुलिया बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा खटीमा क्षेत्र में बाढ़ से भूमि के कटाव को रोकने हेतु कार्यवाही

55—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव-नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा 14 खटीमा क्षेत्र में पिछले 4 साल से किन-किन स्थानों पर बाढ़ आई और इस बाढ़ से कितनी

भूमि कटी और इस कटान को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इन्हें कोई मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती, के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा नौतनवां सिगल एवं गिट्टी क क्रय

56--श्रीमती गेंदा देवी--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के कुआनों पम्प नहर परियोजना हेतु वर्ष 1981, 82, 83 में ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती के प्रत्येक अधिकारी के द्वारा नौतनवां सिगल एवं 1 1/2" साइज की पत्थर की मिट्टी कितनी-कितनी दर पर खरीदी गयी है ? यदि उपरोक्त दरों में अन्तर है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, बस्ती के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दरों पर नौतनवां सिगल एवं गिट्टी क्रय की गई है :--

अधिकारी का नाम	खरीद दर प्रति घनमीटर नौतनवां सिगल		
1	2	3	4
	1981	1982	1983
सहायक अभियन्ता प्रथम	..	..	279.50
	..	..	280.00
सहायक अभियन्ता द्वितीय	..	225.00	..
	..	238.75	..
	..	238.00	..
सहायक अभियन्ता तृतीय	..	..	288.50
	..	..	289.00
	..	..	289.50

अधिकारी का नाम	खरीद दर प्रति घनमीटर 1--1/2 साइज की पत्थर की गिट्टी		
1	2	3	4
	1981	1982	1983
सहायक अभियन्ता प्रथम	..	..	279.50
	..	..	280.00
सहायक अभियन्ता द्वितीय	..	225.00	..
	..	238.75	..
	..	238.00	..
सहायक अभियन्ता तृतीय	..	..	288.50
	..	..	289.00
	..	..	289.50

प्राप्त सूचना के अनुसार आपूर्ति स्थलों तक ढुलई भिन्न-भिन्न होने के कारण दरों में अन्तर है । सामग्रियों की खरीद निविदा के माध्यम से की गई थी और निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुबन्ध किया गया ।

जिला देवरिया के चाफ तथा खजुलिया के राज वाहों की पटरियों पर खडंजा व कंकरीट का कार्य

57--श्री विश्वनाथ--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत बरहज खण्ड के अन्तगत चाफ तथा खजुलिया के राजवाहों की पटरियों को खडंजा या कंकरीट कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बिजनौर में मार्गों पर चल रही निजी बसें तथा जमा किया गया रोड टैक्स

58—श्री सूबेदार सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर में कितनी रूटों पर निजी बसें चल रही हैं और इन रूटों पर कितने परमिट होल्डर मालिकों ने 1980 से जनवरी, 1983 तक रोड टैक्स नहीं जमा किया है ? क्या सरकार इनका परमिट निलम्बित करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जिला बिजनौर में 11 मार्गों पर 177 निजी बसें चल रही हैं।

वर्ष 1980 से जनवरी, 1983 तक सभी बस मालिकों द्वारा रोड टैक्स जमा किया गया है।

मेरठ–परीक्षित गढ़ मार्ग के लिए स्वीकृत बस परमिट

59—श्री दामोदर शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 12–1–1984 को दो बस परमिट मेरठ–परीक्षत गढ़ मार्ग के लिए दिये गये हैं, जिनमें श्री जय प्रकाश जो जाति के धुन्ना हैं, को हरिजन कोटे में परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलेदार कार्यालय सिसवा बाजार की भूमि में छूट देने के सम्बन्ध में पत्र

60—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20–4–1983 को जिलेदार कार्यालय सिसवा बाजार (गोरखपुर) करीब तीस हजार छूट देने के सम्बन्ध में जो 1033 एकड़ भूमि से सम्बन्धित है, कोई प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता (सम्बन्धित) को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह छूट किसानों को मिली ? यदि नहीं, तो क्यों और इसका समायोजन कब तक हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

छूट अभी नहीं मिली है क्योंकि प्रकरण पर जिलाधिकारी गोरखपुर का सत्यापन प्रतीक्षित है। सत्यापन के बाद अन्तिम निर्णय लेकर छूट देने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अमोदा, मखतिलया, पोखरमिंडा, पठखोला, पिपरिया आदि नहर के पानी से तबाही एवं बालिका के मरने के सम्बन्ध में पत्र

61—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें कोई तार 20 जनवरी, 1984 को अमोदा, मखतिलया, पोखरमिंडा, पठखोला, पिपरिया आदि गांवों की नहर के पानी से तबाही एवं एक बालिका के मरने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

62—श्री धनीराम वर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

ग्राम फरीदीपुर, इलाक हसनगंज, जनपद उन्नाव के भूतपूर्व प्रधान श्री रघुराज सिंह की भूमि पर सरकारी नलकूप का निर्माण

63--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 77 से 79 के मध्य ग्राम फरीदीपुर, इलाक हसनगंज, जनपद उन्नाव के भूतपूर्व प्रधान श्री रघुराज सिंह की भूमि पर खाता नं0 152 पर सरकारी नलकूप नं0 3 का निर्माण कराया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रधान को उसकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इस कार्य में शिथिलता एवं अनियमितता के कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं और सरकार उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करेगी और कब तक भूतपूर्व प्रधान को जमीन का मुआवजा दिला देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खाता संख्या 152 में राजकीय नलकूप का निर्माण कराया गया है किन्तु इस खाता के स्वामी केवल श्री रघुराज सिंह ही नहीं हैं । यह सही है कि श्री रघुराज सिंह को उनकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है । इसके लिये सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि प्रश्नगत भूमि का बंटवारा न्यायालय द्वारा श्री रघुराज सिंह व श्री गजराज सिंह व श्री नन्हा सिंह पुत्र श्री महीपाल सिंह, निवासी ग्राम हसनपुर के पक्ष में हो गया है किन्तु मौके पर रकबे के अनुसार सही कब्जा नहीं है अतः यह निश्चित नहीं है कि प्रश्नगत नलकूप किस की भूमि में है । यह निश्चित होते ही सम्बन्धित व्यक्ति को प्रश्नगत भूमि का मुआवजा दे दिया जायेगा ।

64--श्री धनीराम वर्मा--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

ग्राम सभा अमुआरी नारायनपुर, विकास खंड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में हरिजन कालोनी का निर्माण

65--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमुआरी नारायनपुर, विकास खंड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में हरिजन कालोनी का निर्माण होना है ? यदि हां, तो यह निर्माण कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है । कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में नहर का निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाना

66--श्री विश्वनाथ--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जनपद के तहत सलेमपुर तहसील में नहर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो जनहित का आदर करते हुए इसे सार्वजनिक जमीन की कटौती से नहर निर्माण कराया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नहर निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया है । प्रश्नगत क्षेत्र में नहरों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

बवास डाम (जनपद अल्मोड़ा) का सर्वे का कार्य

67--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बवास डाम, कुमरिया, जनपद अल्मोड़ा के सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा तथा कितनी धनराशि योजना के लिए स्वीकृत है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा कितने कर्मचारी व अधिकारी इस समय कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

बवास डाम (जनपद अल्मोड़ा) का सर्वे का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अतः निर्माण कार्य आरम्भ करने तथा इस योजना हेतु धनराशि स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त योजना का अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1986-87 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

प्रश्नगत परियोजना पर एक अधिकारी व ग्यारह कर्मचारी कार्यरत हैं ।

श्री श्याम नारायन दुबे, कूप चालक के अवशेष वेतन का भुगतान

68--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री श्याम नारायन दुबे बनाम उत्तर प्रदेश शासन आदि के नाम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संख्या 4, लखनऊ में छात्र मुकदमे के वाद संख्या 997 (टी)/4-79 के दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को दिए गये निर्णय का जो कि विशेष वेतन के भुगतान किए जाने से सम्बन्धित है, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अब तक पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और सरकार उक्त आदेश का पालन कब तक करा देगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण चतुर्थ के निर्णय के अनुसार श्री श्याम नारायन दुबे, कूप चालक के कुल रु0 588.10 के अवशेष वेतन में से रु0 567.75 का भुगतान कर दिया गया है । शेष रु0 20.35 का बीजक, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्री-आडिट हेतु भेजा जा चुका है ।

हथकर्घा बुनकर कम्पोजिट योजना के अन्तर्गत बुनकरों को ऋण का वितरण

69--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में हथकर्घा बुनकर कम्पोजिट योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, बाराबंकी द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, फैजाबाद को भेजे गये 190 मामलों में से 15 फरवरी, 1984 तक मात्र 7 बुनकरों को और उनके द्वारा मांग गये ऋण में कटौती करके मात्र रुपया 3,000 प्रति बुनकर ही ऋण दिया गया ? यदि हां, तो ऋण देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? इस योजना के अन्तर्गत प्रति बुनकर कितनी धनराशि तक ऋण दिया जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वित्तीय वर्ष 1983-84 में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा 15 फरवरी, 1984 तक प्राप्त 190 मामलों में से 65 मामलों में स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, इनमें से 26 मामलों में 3,000 रुपये व 39 मामलों में 6,000 रुपये प्रति इकाई के दर से भुगतान किया गया है । कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है जो लेखा-कार्य सम्बन्धी अधिकता व वैधानिक

औपचारिकताओं में विलम्ब के कारण हुआ है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में अधिकतम ऋण 25,000 रु० तक दिया जा सकता है ।

मंगलौर से लंढ़ोरा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसों को दिये गए परमिट

70—श्री काजी मोहिउद्दीन—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद सहारनपुर में मंगलौर लंढ़ोरा तक नेशनलाइज्ड रूट है, जिस पर रोडवेज की बसे चलती हैं परन्तु इस रूट पर प्राइवेट बसों को परमिट दे दिए गये हैं जिससे न केवल रोडवेज की लाखों रुपये की हानि हो रही है, बल्कि सैकड़ों रिक्शा, तांगे वालों के भी परिवार बेरोजगार हो गए हैं ? यदि हां, तो प्राइवेट बसों को मंगलौर लंढ़ोरा तक चलने की आज्ञा किन परिस्थितियों में दी गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

उक्त जनपद में मंगलौर से लंढ़ोरा मार्ग राष्ट्रीयकृत अवश्य है परन्तु उस पर संचालित मंगलौर–मखनौती वाया आसफनगर–मार्ग की प्राइवेट बसों को, जो राष्ट्रीयकरण के पहले से वैध परमिटों पर चल रही थीं, अब नियमानुसार इस राष्ट्रीयकृत भाग पर परिवहन निगम को ए० ओ० सी० सी० चार्ज देकर चलने की अनुमति दी गई है । इस प्रकार परिवहन निगम या किसी अन्य को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा–कानपुर–लखनऊ रीजन में सीनियर व जूनियर लिपिक तथा आरक्षण कोटा

71—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बताने को कृपा करेंगे कि इटावा–कानपुर लखनऊ–रीजन में कुल कितने सीनियर व जूनियर लिपिक हैं ? क्या उपरोक्त रीजनों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब रिजर्व कोटा की पूर्ति कर दी जावेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या अनावर्तक अनुदान तथा कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान

72—श्री विश्वनाथ—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में 31 मार्च, 1983 को हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या क्या थी ? उसमें से आवर्तक अनुदान से प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या कितनी थी ? उनके अध्यापकों का वेतनक्रम क्या है और कब से लागू किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जनपद देवरिया में 31 मार्च, 1983 को हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या 67 थी इसमें से आवर्तक अनुदान प्राप्त 28 संस्थायें थीं तथा आवर्तक अनुदान में प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या 11 थी जिन्हें अनावर्तक अनुदान निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया गया था चूंकि 11 प्रस्तावित संस्थायें पूर्ण रूप से आवर्तक अनुदान की सूची पर नहीं लायी गई हैं अतः इनमें कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान क्या है और कब से लागू किया गया है, का कोई प्रश्न ही नहीं होता है ।

जनपद देवरिया में आवर्तक सूची के तहत न ली गयी हरिजन प्राइमरी पाठशाला

73—श्री विश्वनाथ—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने हरिजन प्राइमरी पाठशाला इस समय तक ऐसे हैं जिनमें प्रस्तावित आवर्तक सूची के तहत 12 वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को आवर्तक सूची में सम्मिलित नहीं किया गया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सम्मिलित किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

देवरिया जनपद में ऐसी 4 प्राइमरी पाठशालायें हैं । इन संस्थाओं को शासन के सीमित वित्तीय साधनों के कारण आवर्तक सूची में सम्मिलित करना सम्भव नहीं हो सका है ।

कानपुर महानगर एवं कानपुर देहात में हरिजन छात्रवृत्ति के रूप में दी गयी धनराशि

74—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर एवं कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 1982-83 में कितना रुपया हरिजनों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को शुल्क के मद में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में हरिजन छात्रावासों की संख्या व निर्माण

75—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने हरिजन छात्रावास हैं तथा इन छात्रावासों का निर्माण निजी व्यक्तियों के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

चैयती राजबाहा, पडरौना, जिला देवरिया हेतु काश्तकारों की ली गई भूमि एवं मुआवजा दिलाने की मांग

76—डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि चैयती राजबाहा, पडरौना जिला देवरिया अब तक अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में क्या काश्तकारों की ली गयी जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा दिलाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाखोपार माइनर, पडरौना, जिला देवरिया पर पुल बनवाने की मांग

77—डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शाखोपार माइनर, पडरौना, जिला देवरिया पर जिगना एवं

दुर्गवलिया यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब उस पर पुल बनवाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मोहन पट्टी विधान सभा क्षेत्र पड़रौना, जिला देवरिया में बड़ी गन्डक पर पुल बनाने के संबंध में पत्र

78--डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोहन पट्टी विधान सभा क्षेत्र पडरौना, जिला देवरिया में बड़ी गन्डक पर पुल बनाने के लिये प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनांक नवम्बर, 1983 का पत्र माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्कूटर कारखाना स्थापित किये जाने हेतु पत्र

79--श्री हरिवंश सहाय--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्कूटर फैक्टरी, बेवरिया जनपद के किस स्थान पर लगाई जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मेसर्स लोहिया मशीन्स लि० को जनपद देवरिया में स्कूटर कारखाना स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किया गया है । इकाई द्वारा स्थल का चयन अभी तक नहीं किया गया है ।

ग्राम भड़ेवल, विकास खन्ड जमालपुर, मिर्जापुर के बाढ़ के पानी को निकालने हेतु पत्र

80--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 1-9-83 को ग्राम भड़ेवल, विकास खन्ड जमालपुर मिर्जापुर के बाढ़ के पानी को निकालने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

ग्राम भड़ेवल, विकास खन्ड जमालपुर, जनपद मिर्जापुर के बाढ़ के पानी को निकालने हेतु रुकनापुर और सरया ड्रेनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है । इन ड्रेनों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मिर्जापुर को योजना प्रस्तुत की जा रही है । धन प्राप्त होने पर दोनों ड्रेनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

झांसी क्षेत्र में चालकों, परिचालकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समाप्त सेवायें

81--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मन्त्री को यह जानकारी है कि झांसी क्षेत्र में 28 जुलाई, 1983 से अब तक 28 चालक, 2 परिचालक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मुख्यालय से इतने ही कर्मचारी निकालने के अलग से आदेश प्राप्त हुए हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

यह कार्यवाही मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में की गयी ।

मुख्यालय से उक्त कर्मचारियों को सेवा से निकालने के लिये अलग से कोई आदेश नहीं दिये गये थे । बल्कि यह कहा गया था कि झांसी क्षेत्र में अनियमित रूप से नियुक्त एवं प्रोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाय तथा प्रत्यावर्तित कर दिया जाय । जिन कर्मचारियों को सेवामुक्त/प्रत्यावर्तित करने में कोई वैधनिक कठिनाई न थी उनके बारे म तदनुसार कार्यवाही की गयी परन्तु जिन कर्मचारियों ने 240 दिन की निरन्तर सेवा कर ली थी अथवा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए उन्हें अभी तक सेवामुक्त/प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सका है ।

राजघाट से बाला बेहट मार्ग पर व्यक्तिगत बसों के परमिट

82—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या परिवहन मन्त्री को यह जानकारी है कि राजघाट से बाला बेहट (ललितपुर जनपद) मार्ग पर व्यक्तिगत बसों के परमिट हैं ? यदि हां, तो क्या कारण हैं कि बसें नहीं चल रही हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है .

ललितपुर से धौरी सागर हेतु व्यक्तिगत बसों के परमिट तथा उनका संचालन

83—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या परिवहन मन्त्री को यह जानकारी है कि ललितपुर जनपद में शासन के द्वारा ललितपुर से धौरी सागर के लिए व्यक्तिगत बसों के परमिट दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि धौरी सागर तक उक्त परमिट की बसें नहीं चलती हैं क्या मन्त्री जी उक्त बसों को दिये गय परमिट को समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां । ललितपुर से सौरई तक बसें नियमित रूप से चलती हैं। कभी कभी जब आगे की सवारियां नहीं मिलती हैं तो बसें इसके आगे नहीं चलाई जाती हैं । आर० टी० ओ०, झांसी को निदेश दे दिया गया है कि वे इन बसों का नियमानुसार पूरे मार्ग पर संचालन सुनिश्चित करें ।

ग्राम रामपुर बरडिहा इत्यादि तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में खरीफ की फसलों के गलत परताल के सम्बन्ध में जांच

84—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामगोविन्द—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 9-1-84 जिनमें ग्राम रामपुर, बरडिया, इत्यादि तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में खरीफ की फसलों के गलत परताल के सम्बन्ध में था, कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव लखनपुर ब्लाक भदोही, वाराणसी के ट्यूबवेल नं० 303 की नालियों की मरम्मत की मांग

85—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लखनपुर, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के ट्यूबवेल नं० 303 की एक भी नाली ठीक नहीं है और उत्तरी नाली में भी पानी नहीं

जा रहा है । क्या यह भी सत्य है कि उक्त ट्यूबवेल महीने भर में एक दो दिन चलता है और दो माह से बन्द किया गया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राल लखनपुर, ब्लाक भदोही, सहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के ट्यूबवेल नं0 303 की नालियों की कुछ लम्बाई में लीकेज है परन्तु साधारणतः ठीक है । उत्तरी गूल में पानी जा रहा है ।

पानी के साथ अधिक रेत जाने के कारण यह नलकूप तीन माह से फेल है ।

86--श्री ऊदल--

क्या सरकार को जानकारी है कि ट्यूबवेल नं0 303 लखनपुर की पश्चिमी नाली रेलवे लाइन के नीचे आज तक नहीं बनाई गयी और दक्षिण व उत्तर नाली बना दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ट्यूबवेल की नाली पाए पर बनाई गयी है, जो टूटी हुई है ? वर्षों से इस टूटी नाली को न बनाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । उक्त नलकूप की पश्चिम गूल सीमेन्ट के पाये पर बनाई गई है और उसकी टेल पर रेलवे पुलिया के पास का कुछ हिस्सा कंक हो गया है । नलकप के लगभग तीन माह की बन्दी के कारण इस टूटी हुई नाली की मरम्मत नहीं कराई गई ।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के उस्क लखनापार बांध का जल निकासी हेतु पाइप लगाने तथा बांध के टूटे हुए भाग के निर्माण की मांग

87--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में उसका लखनापार बांध में मौजा हथबड़-ताल के पास की जमीन नीची होने के कारण पानी रुक जाता है, जिसके कारण अपने खेतों की बुआई किसान समय से नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीची जमीन म पाइप लगाकर नीची जमीन का पानी निकालने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में उस्का लखनापार बांध में मौजा हथबड़-ताल की जल निकासी के लिए एक रेगुलेटर पहले से बना हुआ है । पाईप लगाने की मांग के विषय में सर्वेक्षण किया जा रहा है और यथावश्यक कार्यवाई की जायेगी ।

88--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में बनने वाली उस्का लखनापार बांध जिसका कि वह भाग जो छितरापार, सियरपार, चोखर आदि गांव होकर जाता है, वहां बांध नहीं बना है और अगर वह बांध आगामी बरसात के पहले न बना दिया गया तो ऊपर लिखे कई गांव बाढ़ से तबाह हो जायेंगे ? यदि हां, तो उक्त बांध का टूटा हुआ भाग कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में बनने वाले उस्का लखनापार बांध का वह भाग जो ग्राम छितरापार से होकर जाता है, काश्तकारों के प्रबल विरोध के कारण नहीं बन सका है ।

ग्राम में चकबन्दी चल रही है और चकबन्दी विभाग से बांध के लिये ग्राम छितरापार में जमीन प्रदान करने के लिये अनुरोध किया जा चुका है । भूमि प्राप्त होते ही बांध का निर्माण कर दिया जायेगा ।

सियरापार, चोखर आदि गांव प्रस्तावित बंदौला लखनापार बांध जिसकी लागत 103 लाख रु० है, में पड़ते हैं। यह परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 14-2-81 को स्वीकृत हो चुकी है। इस पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही है। स्वीकृति प्राप्त होने तथा धनराशि उपलब्ध होने पर बांध का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

भू० पू० सैनिक श्री पान सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम पैंठाणी जिला चमोली द्वारा मोटर वर्कशाप हेतु उद्योग विभाग से लिये गये ऋण की वसूली हेतु कार्यवाही

89--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 14 जनवरी, 82 का पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि भू० पू० सैनिक श्री पान सिंह बिष्ट पुत्र श्री चन्द्र सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम पैंठाणी, पोस्ट पैंठाणी, तह० कर्णप्रयाग, जिला चमोली द्वारा वर्ष 74-75 में मोटर रिपेयर वर्कशाप हेतु उद्योग विभाग, चमोली से लिए गये ऋण का राजस्व विभाग द्वारा गलत एवं गैर-कानूनी तरीके से उनकी अचल सम्पत्ति की नीलामी कर वसूली किए जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

मामले में शासन द्वारा जिलाधिकारी चमोली की रिपोर्ट मंगाई गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि ऋणी द्वारा ऋण की अदायगी न करने पर और चूंकि ऋणी के नाम किसी प्रकार की चल तथा अचल सम्पत्ति नहीं थी, अतः उनके जामिनदार यानी ऋणी के पिता की सम्पत्ति की कुर्की नियमानुसार की गई। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए वसूली में की गयी कार्यवाही में शासन द्वारा हस्तक्षेप करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

ज्ञानपुर पम्प कैनाल को समरेखन के विरुद्ध कृषकों द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका

90--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल के मुख्य नहर के समरेखन को गांव बरवां के पश्चिमी सीमा से जगन्नाथपुर की सीमा परगना भदोही, तह० ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में बदल कर टेढ़ा कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि वहां के किसानों ने इसके खिलफ रिट दाखिल करके रोक दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। ज्ञानपुर पम्प कैनाल का समरेखन ग्राम बरवां में स्वीकृत समरेखन के अनुसार ही है। यह सही है कि वहां के किसानों ने इसके खिलाफ रिट दाखिल करके रोक दिया है जिस पर माननीय न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है।

श्री प्रेम पाल सिंह, निवासी बुझिया, अलीगढ़ की हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे नियम 301 की 38 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो लोग यहां नहीं हैं उनको छोड़कर, जो यहां मौजूद हैं और जिनको मैं सामने देख रहा हूं। मैं उनको स्वीकार कर पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अब श्री महराज सिंह ....

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मेरा प्रस्ताव है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मेरा प्रस्ताव है कि सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय महाराज सिंह और माननीय जगदीश सिंह, माननीय सुन्दर सिंह, माननीय ए0 सी0 ग्राईस, माननीय शिवनरेश, माननीय गोरेलाल शाक्य, माननीय शिवराज सिंह और माननीय राम कुमार भार्गव की सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है और इन सबको पढ़ा हुआ माना जाए।

तहसील तिलहर (शाहजहांपुर) के ग्रामों में चकबन्दी के कागज वापस न होने से ग्राम सभाओं के कार्यों में रुकावट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महाराज सिंह—

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिनांक 15-3-84 को थाना अकराबाद, जनपद अलीगढ़ में हुई घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त तिथि को प्रेमपाल सिंह, लिपिक, केनारा बैंक, अलीगढ़ से सायं पांच बजे के लगभग साइकिल से अपने गांव दुभिया जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, आ रहा था कि कुछ अज्ञात लोगों ने गांव से दो किलोमीटर पहले ही नानऊ नहर के पुल पर एक चाय की दुकान पर चाय पिलाने के लिये रोक लिया। अनेक बार विरोध करने पर चाय के स्थान पर दूध पीने के लिये बाध्य किया गया। उस समय लगभग 8 बज चुके थे। वह गांव जाना चाहता था किन्तु जान बूझकर विलम्ब कराया गया तथा प्रेमपाल सिंह जब उस रात्रि घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। दिनांक 16-3-84 को अपरान्ह 2 बजे के लगभग चरवाहे बच्चों को प्रेमपाल सिंह की लाश बम्बे में मिली। उल्लेखनीय है कि श्री प्रेमपाल सिंह ने अलीगढ़ से चलते समय 60 रुपये अपने खाते से निकाले थे किन्तु न तो पैसे मिले, साइकिल तथा जूते भी हत्यारों ने गायब कर दिये।

माननीय, लगभग एक माह पश्चात् भी इस मामले में थाना अकराबाद की पुलिस निष्क्रिय है। अभी तक इस मामले में न तो कोई गिरफ्तारी की न कोई प्रभावी कदम उठाया। इस घटना से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश एवं आतंक है।

अतः इस मामले में शीघ्र ही कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जगदीश सिंह—

[माननीय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन व सरकार को सूचना देना चाहता हूं।

माननीय, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत तहसील तिलहर में कुल 624 ग्राम

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, जिनमें दो ग्राम सभाएं 1--बवादा दरोवस्त 2--खेड़ा मझखेड़ा जिसमें गुहरा खेड़ा भी सम्मिलित है, म 15 वर्ष पूर्व चकबन्दी हुई थी । परन्तु अभी तक कागजात चकबन्दी से तहसील में वापस नहीं हुए हैं । ज्ञात हुआ है कि 1973 मे बन्दोबस्त हुआ था, जिसमें उपरोक्त दोनों ग्राम सभाएं एक में ही जोड़ दी गई हैं । जिसके कारण हमारी तहसील में दो तीन ग्राम कम हो जावेंगे तथा उन ग्राम सभाओं का कार्य भी सुचारु रूप से नहीं चल रहा है । ग्राम समाज की सम्पत्ति को भी नुकसान हो रहा है ।

अतः निवेदन है कि चकबन्दी से तुरन्त कागजात तहसील वापस किए जावें तथा दोनों ग्राम सभाएं अलग-अलग रक्खी जावें ।]

अल्पसंख्यकों की जमीन को सरकार व अन्य लोगों द्वारा कब्जे में लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ए० सी० ग्राइस--

[मान्यवर, संविधान की धारा 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने आदि का पूरा अधिकार है । संविधान मे इस बात की भी गारन्टी दी गई है कि कोई अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा नहीं करेगा परन्तु इस तरफ देखने में यह आया है कि लखनऊ स्थित अल्पसंख्यकों की संस्थाओं की भूमि पर सरकार व अन्य लोगों द्वारा कब्जा करने की कुचेष्टा की जा रही है । जिससे अल्पसंख्यकों को दिये हुये अधिकारों का हनन होता है ।

अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग सदन के माननीय सदस्य भी हैं । इसलिये मैं नियम 301 के अन्तर्गत इसके औचित्य का प्रश्न उठाने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं ।]

कैसरगंज, बहराइच में कन्या विद्यालय न खोलने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह--

[मान्यवर, जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज की जनसंख्या 9 00 लाख से भी कहीं अधिक है । यह क्षेत्र जहां विकास की अन्य दिशाओं में नगण्य है, वहीं बालिकाओं में घोर अशिक्षा व्याप्त है । तहसील कैसरगंज मुख्यालय के 50 किलोमीटर (चारों तरफ) की दूरी तक में कोई भी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित नहीं है । गत महीनों में विभिन्न महिला संगठनों ने बालिकाओं के भविष्य को लेकर प्रदर्शन एवं आन्दोलन भी किए थे । प्रदेश के अनेक समाचार-पत्रों ने भी इस मांग का प्रबल समर्थन किया था । परन्तु जनभावना के प्रतिकूल आचरण करते हुए जनपद के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्थापना के लिये कोई प्रयास नहीं किया । मैंने भी समय-समय पर अनेकों पत्र लिखकर शासन से अनुरोध किया था कि तहसील कैसरगंज में एक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाय । परन्तु शासन ने इसे भी निर्णीत नहीं किया । अतः महिलाओं के संगठन के प्रदेशन, आन्दोलन एवं जनभावना को देखते हुए समीचीन आदेश पारित कराया जाय ।

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2—उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा आपसे अनुरोध है कि तहसील कैसरगंज में एक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने के विषय पर ठोस आश्वासन दिलाये जाने की मांग करता हूं ।]

चिल्लीमल पम्प नहर (बांदा) में पानी न देने से फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव नरेश—

[आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र करवी, जनपद बांदा की एक अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस क्षेत्र के अन्तर्गत चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता 120 क्यूसेक है । जिससे इस क्षेत्र के लगभग 30 गांव सिंचित होते हैं । इस बार अधिकारियों ने पानी इस नहर में सिंचाई के लिए दिया ही नहीं, जिससे कृषकों को असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ा । उत्पादन की हानि के साथ-साथ खाद एवं बीज की भी हानि हुई ।

अब ज्ञात हुआ है कि अधिकारियों ने फर्जी सिंचाई कृषकों के नाम चढ़ा रखी है । जो इस क्षेत्र के किसानों पर अनावश्यक मार आयेगा । इस प्रकार की घोर अनियमित कार्यवाही से क्षेत्र के किसानों में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मैं इस गम्भीर लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुए शासन से तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर किसानों को इस भार से मुक्त करने का अनुरोध करता हूं ।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

श्री ए० बी० शोरेवाल, पुलिस उप धीक्षक को अकारण निलम्बित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोरे लाल शाक्य—

[श्री ए० बी० शोरेवाल, पुलिस उपधीक्षक, कानपुर के लखनऊ स्थित पेपर मिल कालोनी के मकान में जुलाई, 1969 में कुछ शासन के उच्चाधिकारियों ने ताले तोड़कर डकैती डाली। जिसकी श्री शोरेवाल ने डकैती की रिपोर्ट कर मुकदमा चलाया । बैमनस्यवश षड़यन्त्र करके श्री शोरेवाल का इन अधिकारियों ने अकारण बिना आरोप निलम्बन कर दिया । इस विधान सभा में दिनांक 21 जुलाई, 1972 को तारांकित प्रश्न संख्या-2 की कार्यवाही में पृष्ठ 1080-81 पर श्री शोरेवाल के खिलाफ सरकार ने इस सदन में कहा था कि श्री शोरेवाल के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, किन्तु विधान परिषद् में दिनांक 11 अप्रैल, 1975 को प्रश्न संख्या 36, 37, 38 में सरकार ने बताया कि शोरेवाल को पुनः उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णयानुसार सेवा में ले लिया गया है और विधान सभा में लगाये गये आरोप नहीं लगाये, न उच्च न्यायालय में ही लगाये । इसके बाद श्री शोरेवाल ने तीन-चार वर्ष सरकार की सेवा करके स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली, जिसे सरकार ने इस सदन में दिनांक 15 फरवरी, 1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 14 और 15 में स्वीकार किया है ।

अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत यह औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि एक सम्भ्रान्त नागरिक श्री शोरेवाल

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई, 1972 को विधान सभा में लगाये गये आरोप जब निराधार हैं तो उन्हें मिथ्या तथा निराधार घोषित किया जाय]।

विधान सभा क्षेत्र खैर (अलीगढ़) में गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिवराज सिंह—

[माननीय अध्यक्ष जी, अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अभी क्रय केन्द्र चालू नहीं हुए हैं। अतिरिक्त जिलाधिकारी अपूर्ति ने बोरियों का अभाव बतलाया है। कृषकों का शोषण व्यापारी 125 रुपये से 130 रुपये कुंटल के भाव से गेहूं क्रय कर रहे हैं, जिससे कृषकों में भारी असंतोष व्याप्त है। कृषकों को उनकी गेहूं में लगी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हजारों टन गेहूं कृषकों का क्रय हेतु तैयार पड़ा है, जिससे क्रय केन्द्रों पर बोरों के अभाव में खरीदा नहीं जा रह है।

बिजली रात 8 घंटा व दिन में 6 घंटे औसतन आती है परन्तु रविवार, सोमवार, मंगलवार को कतई नहीं आती। इन सभी कारणों से क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है। सरकार तुरन्त क्रय केन्द्रों पर गेहूं क्रय करने हेतु व्यवस्था करे तथा खैर हेतु बिजली आपूर्ति 10 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से दिलवाई जाने की व्यवस्था कराई जाय।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्लाक सांड़ी, हरदोई में बिजली की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव—

[अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लोक महत्व के प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के विकास खंड, सांडी में वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति लगभग पूर्णतया ठप्प पड़ी हुई है तथा स्थानीय अधिकारी इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिससे किसानों को लाखों रुपयों की रबी की फसल खलिहानों में पड़ी है जिसके नष्ट होने की पूरी संभावना है। जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है। विधान सभा के प्रश्नों के माध्यम से कई बार इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। परन्तु उपरोक्त लापरवाही, उपग्रह पर तैनात जूनियर इंजीनियर श्री विश्वकर्मा की वजह से हो रहा है। शासन ने उसका स्थानान्तरण गोंडा के लिए एक वर्ष पूर्व किया था परन्तु जिले के अधिकारियों की साजिश से उसे अभी तक रिलीव नहीं किया गया। जिससे जन आक्रोश व्याप्त है। जब तक उक्त अवर अभियंता को सांड़ी से रिलीव नहीं किया जाता तब तक वहां विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं हो सकती। अतः शासन का ध्यान सांड़ी ब्लाक की विद्युत आपूर्ति हेतु शासन से अविलम्ब अपेक्षा करता हूं।]

विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों के अध्यापकों का श्रेणी के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है। शिक्षा मंत्री जी आपको

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ कहना है (श्री अम्मार रिजवी के खड़े न होने पर) मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप इस मामले को देखकर सदस्य को सूचित करेंगे और मुझे भी सूचित करेंगे। गोपीनाथ वर्मा, मोतीलाल देहलवी, मुहम्मद आजम खां, किरनपाल सिंह की सूचनाएं हैं। पंचानन राय जी अपनी बात कहेंगे।

* श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के जो विद्यालय हैं, उनमें काम करने वाले शिक्षकों के बारे में पूरे प्रदेश में काफी अनिश्चितता व चिन्ता की स्थिति पैदा हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद् पूरे अपने विद्यालय चलाती है। गैर सरकारी पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक तथा महाविद्यालय, भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा भी विद्यालय चलाये जाते हैं। लेकिन यह बड़ी चर्चा है कि जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं, उनमें काम करने वाले अध्यापक एक ही श्रेणी में आते हैं और जो यह विधायक हैं, उनका यहां रहना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हो गया है। इसलिए एक संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो गया है। मान्यवर, तमाम चीजें समाचार-पत्रों में छप रही हैं। जितने दिनों से हम सदस्य रहे हैं 500 रुपये रोज जुर्माना भी होगा। तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहिये कि जो विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं, क्या उनमें काम करने वाले अध्यापक एक ही श्रेणी में आते हैं या अलग-अलग हैं ?

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् बिलकुल अलग चीज है। जो हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापक हैं, वह अलग है, यूनीवर्सिटीज के अध्यापक अलग हैं, माइनारिटीज इंस्टीट्यूशन्स के अध्यापक अलग श्रेणी में आते हैं। यह सब एक साथ ग्रुप नहीं किये जा सकते। यह अलग-अलग कैटेरीज के अध्यापक हैं। लिहाजा यह भ्रान्ति कहीं नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के साथ सबको एक ग्रुप में किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन, जो प्रदेश में विकेन्द्रीयित नियोजन प्रणाली के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को कार्यवाही से शब्द "सिख उग्रवादियों" में से शब्द 'सिख' निकालने के संबंध में श्री जयदीप सिंह बरार के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

माननीय जयदीप सिंह बरार ने दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को अनुरोध किया था कि दिनांक 2 अप्रैल, 1984 की कार्यवाही से शब्द "सिख उग्रवादियों" में से शब्द "सिख" निकाल दिया जाय क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है।

मैंने नियम 304 तथा श्री बरार द्वारा संदर्भित निर्णयों का अवलोकन किया है। मैंने उनसे स्वयं भी बातचीत की है। मेरी राय में, सदन में माननीय सदस्यों को भाषण की स्वतन्त्रता उपलब्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

है । ऐसे भाषणों का शुद्ध अभिलेख रखा जाना नियमतः उचित है । अध्यक्ष को सदन की शुद्ध रूप से प्रतिवेदन कार्यवाही में से किसी अंश को निकालने का असीमित अधिकार नहीं है ।

नियम 304 के अन्तर्गत कोई शब्द तभी निकाला जा सकता है जब वह शब्द "मानहानिकारक, अशिष्ट, असंसदीय अथवा अभद्र" हों । श्री बरार चाहते हैं कि "सिख उग्रवादियों" में से शब्द "सिख" निकाल दिया जाय । शब्द "सिख" मानहानिकारक, अशिष्ट, असंसदीय अथवा अभद्र नहीं है । अतः उनका अनुरोध स्वीकार करना उचित न होगा किन्तु मैं इतना अवश्य अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन में विचारों को व्यक्त करते समय माननीय सदस्य धार्मिक शब्दों का प्रयोग न किया करें क्योंकि असामाजिक तत्व केवल असामाजिक तत्व होते हैं । किसी धर्म और जाति से उनका कोई विशेष लगाव नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--

श्री मुहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा....

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

इसको कल ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

कल ले लूंगा ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस--

मान्यवर, मैंने नियम 301 में एक बरखवास्त दी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको स्वीकार कर लिया है । उसको पढ़ा हुआ समझा गया है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाए

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, मैंने उन सबको अस्वीकार किया है ।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल पाल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,13,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,24,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव कोई रखना चाहता है ?

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि

के अतिरिक्त 10,13,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,24,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

19 अप्रैल, 1984 के लिए निर्धारित कार्य सूची के कार्यक्रम को आज ही लिए जाने का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मेरा एक प्रस्ताव है । 'यह सदन निश्चय करता है कि वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की निम्नलिखित मांगों पर विचार तथा मतदान, जो कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल, 1984 को होना है, पर विचार तथा मतदान आज ही कर लिया जाय और विनियोग विधेयक भी ले लिया जाय ।

अनुदान संख्या--7--ऊर्जा विभाग ;

अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ।

अनुदान संख्या 48--वित्त विभाग (अधि-वर्ष भत्ते तथा पेंशन) ।

अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ।

अनुदान संख्या 50--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ।

अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ।

अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ।

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ।

अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) ।

अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ।

अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की निम्नलिखित मांगों पर विचार तथा मतदान, जोकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल, 1984 को होना है, पर विचार तथा मतदान आज ही कर लिया जाय तथा विनियोग विधेयक भी ले लिया जाय ।

अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग ।

अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ।

अनुदान संख्या 48--वित्त विभाग (अधि-वर्ष भत्ते तथा पेंशन) ।

अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ।

अनुदान संख्या 50--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ।

अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)
अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)।
अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)।
अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)।
अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, मैंने सबको अस्वीकार किया है।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 48--वित्त विभाग (अधिवर्ष भते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 50--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर), अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)- मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,50,55,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,52,93,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--वित्त विभाग (अधिवर्ष भते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,80,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,01,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,29,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,55,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरशि के अतिरिक्त 45,43,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,99,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरशि के अतिरिक्त 2,50,55,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,52,93,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,80,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,01,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,29,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,02,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निवेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,55,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,99,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 61 पर ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार की जांच हेतु गठित समिति के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मैं, खान गुफरान जाहिदी, सदस्य, जांच समिति, जो दिनांक 13 फरवरी

1984 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये गठित की गयी है, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"चूंकि दिनांक 13 फरवरी, 1984 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1984 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, और,

चूंकि उक्त समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण सदन के 15 मार्च, 1984 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के अन्तिम दिन तक है, और

चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार कर सकने की स्थिति में नहीं है,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त समिति का उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री खान गुफरान जाहिदी, सदस्य, जांच समिति, ने जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि चूंकि दिनांक 13 फरवरी, 1984 को राज्य विधान मण्डल के साथ समवेत हुए दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1984 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, और

चूंकि उक्त समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण सदन के 15 मार्च, 1984 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के अन्तिम दिन तक है, और

चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार कर सकने की स्थिति में नहीं है,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984

नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 में. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन)

विधेयक, 1984 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के पश्चात निम्नलिखित खण्ड 3 रख दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1984 का निरसन और अपवाद

"3--(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सजीवन सिंह--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये ग संशोधन से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 4, खंड 1' प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

2—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 की उपधारा (1) में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1939 की धारा 5 का संशोधन

(क) खण्ड (क) निकाल दिया जायगा;

(ख) खण्ड (छ) में, शब्द, "पांच सदस्य" के स्थान पर शब्द, "सात सदस्य" रख दिये जायेंगे ।

3—मूल अधिनियम की धारा 9 निकाल दी जायगी । धारा 9 का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम में, धारा 26 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ज) निकाल दिया जायगा । धारा 26 का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

---

†दिनांक 25 अप्रैल, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जो विधायकों के रहने के लिए निवास हैं, उनका स्टेन्डर्ड रेन्ट 300 रू0 कर दिया जाय ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधायकों के लिए जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही सराहनीय है । परन्तु हमारे एक माननीय सदस्य ने जो एक सुझाव रखा है, उसके संदर्भ में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय, पिछले कई वर्षों से इसी आदरणीय सदन में यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है, परन्तु उसकी तरफ हमारी सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है । इस आदरणीय सदन के अधिकांश विधायक उन विधायक निवासों में रहते हैं, जिनका किराया डेढ़ सौ रुपए है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यही तो किया जा रहा है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 रु0 की बात मान ली गयी, ठीक है, उसे स्वीकार कर लिया । मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से यह बात कहना चाहता हूं कि जो लोग 300 में शुरू से रह रहे हैं और जो शुरू से डेढ़ सौ में रह रहे हैं । तो मेरा यह एक सुझाव है माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि विधायकों के साथ यह भेद नहीं होना चाहिए जो लोग डढ़ सौ में रह रहे हैं, उनको उसी के अनुपात में, उतनी धनराशि का भुगतान करना होगा, इसके लिये आप विचार कर लें ? माननीय, यह बड़ी सटीक बात है, माननीय विधायकों से सम्बन्धित है । एक मुठ्ठी भर लोगों को तो आप 300 वाली सुविधा दिये हुए हैं, और जो बहुसंख्यक विधायक हैं, उनको आप डेढ़ सौ वाले में चार साल से रखे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करता हूं कि जो शुरू से डेढ़ सौ वाले में रहने वाले विधायक हैं, उनको उसी अनुपात से, उतने पैसे की पूर्ति का जो विधान है, उसको स्वीकार करने की कृपा करें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य, बाराबंकी ने जो सुझाव दिया है, वह विचारणीय है और अध्यादेश तैयार करते समय उस पर जरूर विचार किया जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :— धारा 14 का संशोधन

"(घ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या, यथास्थिति, विधान परिषद् के सभापति द्वारा या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलायी गयी या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लिये :

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथापरिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये दो से अधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा ।"

धारा 15 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) शब्द "चालीस रुपये" के स्थान पर शब्द "साठ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(पांच-क) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर, यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेन्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा ।

(पांच-ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमीनार या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा ।"

धारा 23 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 23 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(क) पद 'सभा' या 'परिषद्' के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है—

(एक) जिसने इस रूप में इंडियन इंडिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया; या

(दो) जिसने "भारत का संविधान" के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया ।"

धारा 24 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) शब्द "तीन सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) परन्तुक में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

7--मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— धारा 24-क का बढ़ाया जाना

"24-क--जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार कतिपय व्यक्तियों को पर हकदार हो जाता है कि उसने देय पेंशन की शर्तें पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां, यथास्थिति, ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायगी ।"

8--मूल अधिनियम की धारा 25 में,-- धारा 25 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

9--मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्द "पांच सौ रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे । धारा 26 का संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 18 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
18 अप्रैल, 1984

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 52पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984

31 मार्च, 1985 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य के संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1984 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1984-85 के लिए 54,10,72,33,000 रुपये, का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1984, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1984) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 54,10,72,33,000 रुपये (केवल चौवन अरब, दस करोड़, बहत्तर लाख, तैंतीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
1	आबकारी विभाग]	राजस्व	2,23,32,000	7,000	2,23,39,000
		पूंजी	15,00,000	..	15,00,000
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	4,48,95,000	5,17,00,000	9,65,95,000
		पूंजी	16,46,00,000	2,56,85,000	19,02,85,000
3	उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज)	राजस्व	1,08,54,000	5,000	1,08,59,000
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	29,99,58,000	2,62,10,000	32,61,68,000
		पूंजी	6,43,41,000	2,30,53,000	8,73,94,00
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	48,62,000	1,000	48,63,000
		पूंजी	10,10,01,000	5,00,000	10,15,01,000

6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	12,21,55,000	..	12,21,55,000
		पूंजी	50,000	..	50,000
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	85,78,000	..	85,78,000
		पूंजी	3,33,21,81,000	..	3,33,21,81,000
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	38,90,000	..	38,90,000
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	9,05,79,000	5,82,000	9,11,61,000
		पूंजी	2,25,32,000	..	2,25,32,000
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	56,82,79,000	2,12,000	56,84,91,000
		पूंजी	46,78,18,000	50,000	46,78,68,000
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	12,69,11,000	2,00,90,000	14,70,01,000
		पूंजी	4,87,75,00,000	38,37,50,000	5,26,12,50,000
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	7,51,87,000	2,60,000	7,54,47,000
		पूंजी	6,00,00,000	4,86,000	6,04,86,000
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	13,99,40,000	12,11,25,000	26,10,65,000
		पूंजी	13,00,01,000	..	13,00,01,000
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	12,28,14,000	2,000	12,28,16,000
		पूंजी	2,000	..	2,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
			रु०	रु०	रु०
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1,83,48,12,000	16,91,000	1,83,65,03,000
		पूंजी	9,85,000	14,10,000	23,95,000
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6,88,85,000	..	6,88,85,000
		पूंजी	..	..	..
17	गोवध विभाग	राजस्व	26,30,000	..	26,30,000
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	2,80,10,04,000	10,000	2,80,10,14,000
		पूंजी	1,26,96,000	..	1,26,96,000
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	1,14,86,44,000	16,000	1,15,86,60,000
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	52,40,97,000	4,000	52,41,01,000
		पूंजी	15,00,00,000	..	15,00,00,000
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	49,75,26,000	5,000	49,75,31,000
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	66,00,37,000	10,000	66,00,47,000
		पूंजी	12,23,00,000	..	12,23,00,000
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	44,49,000	..	44,49,000
		पूंजी	..	..	..

24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	7,27,04,000	2,000	7,27,06,000	
		पूंजी	..	..	..	
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	3,81,000	..	3,81,000	
		पूंजी	..	..	..	
26	नियोजन विभाग	राजस्व	4,09,40,000	..	4,09,40,000	
		पूंजी	40,000	..	40,000	
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	74,45,000	..	74,45,000	
		पूंजी	..	..	..	
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	4,18,35,000	..	4,18,35,000	
		पूंजी	..	..	..	
29	न्याय विभाग	राजस्व	17,30,97,000	2,84,47,000	20,15,44,000	
		पूंजी	..	..	..	
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	13,53,22,000	21,000	13,53,43,000	
		पूंजी	..	..	..	
31	परिवहन विभाग	राजस्व	28,44,45,000	12,000	28,44,57,000	
		पूंजी	1,000	..	1,000	
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	57,71,000	..	57,71,000	
		पूंजी	..	..	..	
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	84,45,95,000	3,72,000	84,49,67,000	
		पूंजी	45,72,65,000	3,46,000	45,76,11,000	
34	पशुधन विभाग	राजस्व	19,80,13,000	5,44,000	19,85,57,000	
		पूंजी	2,31,06,000	6,00,000	2,37,06,000	

1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	2,17,93,000	2,000	2,17,95,000
		पूंजी	3,02,53,000	..	3,02,53,000
36	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	18,32,000	..	18,32,000
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	16,55,32,000	2,000	16,55,34,000
		पूंजी	63,44,000	..	63,44,000
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	3,58,83,000	2,000	3,58,85,000
		पूंजी	30,000	..	30,000
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	22,02,000	..	22,02,000
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	18,71,65,000	25,000	18,71,90,000
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	10,80,62,000	11,00,48,000	21,81,10,000
		पूंजी	1,42,24,000	18,93,000	1,61,17,000
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	67,61,60,000	1,39,72,000	69,01,32,000
		पूंजी	12,08,000	3,24,61,000	3,36,69,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	27,34,000	27,34,000
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	34,06,000	..	34,06,000
		पूंजी	1,50,000	..	1,50,000
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	1,31,33,000	1,31,33,000
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	38,62,27,000	20,000	38,62,47,000
		पूंजी	17,46,000	..	17,46,000
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2,00,01,02,000	3,47,14,38,000	5,47,15,40,000
		पूंजी	3,90,00,000	7,68,48,77,000	7,72,38,77,000
48	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व	86,40,31,000	13,02,000	86,53,33,000
		पूंजी	..	..	..
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	3,81,05,000	..	3,81,05,000
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	30,13,41,000	..	30,13,41,000
		पूंजी	54,60,000	..	54,60,000
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	7,06,62,000	5,000	7,06,67,000
		पूंजी	..	..	..

*आरित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

1	2		3	4	5	
			₹0	₹0	₹0	
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	1,86,70,000	5,01,00,000	6,87,70,000	
		पूंजी	..	..	..	
53	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	85,22,000	2,63,000	87,85,000	
		पूंजी	..	..	..	
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	2,47,07,000	3,53,000	2,50,60,000	
		पूंजी	..	..	..	
55	निर्वाचन एवं प्रशासन विभाग	राजस्व	1,84,42,000	..	1,84,42,000	
		पूंजी	..	..	..	
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	5,26,65,36,000	3,50,08,000	5,30,15,44,000	
		पूंजी	69,00,000	..	69,00,000	
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	9,48,34,000	3,000	9,48,37,000	
		पूंजी	..	..	..	
58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	9,64,79,000	20,000	9,64,99,000	
		पूंजी	..	..	..	
59	संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल)	राजस्व	..	..	..	
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000	
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	19,32,000	4,000	19,36,000	
		पूंजी	3,75,000	..	3,75,000	

61	वित्त विभाग (वित्तीकर)	राजस्व	12,73,72,000	40,000	12,74,12,000	
		पूंजी	..	..	..	
62	वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	60,57,000	..	60,57,000	
		पूंजी	..	..	..	
63	वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	2,61,50,000	4,000	2,61,54,000	
		पूंजी	4,84,000	..	4,84,000	
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	13,58,90,000	4,000	13,58,94,000	
		पूंजी	..	..	..	
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,49,17,000	7,68,000	1,56,85,000	
		पूंजी	..	..	..	
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	6,05,27,000	3,45,22,000	9,50,49,000	
		पूंजी	19,16,34,000	3,75,04,000	22,91,38,000	
67	सहायता और पुनर्वासन विभाग	राजस्व	33,64,000	5,000	33,69,000	
		पूंजी	40,03,000	50,000	40,53,000	
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	98,88,000	2,000	98,90,000	
		पूंजी	..	..	..	
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	6,94,000	1,000	6,95,000	
		पूंजी	..	..	..	
70	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	11,81,000	..	11,81,000	
		पूंजी	..	..	..	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	40,38,95,000	5,000	40,39,00,000	
		पूंजी	..	..	..	

1	2		3	4	5
			रु०	रु०	रु०
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	3,97,19,000	1,27,000	3,98,46,000
		पूंजी	14 04,62,000	1,00,000	14,05,62,000
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,49,89,000	6,46,000	3,56,35,000
		पूंजी	4,69,62,000	50,000	4,70,12,000
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	81,97,000	20,000	82,17,000
		पूंजी	16,66,04,000	3,25,000	16,69,29,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	72,61,24,000	10,000	72,61,34,000
		पूंजी	96,14,23,000	50,000	96,14,73,000
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	38,00,00,000	10,000	38,00,10,000
		पूंजी	44,71,57,000	..	44,71,57,000
77	सिंचाई विभाग (निर्माण–कार्य)	राजस्व	2,02,91,73,000	3,000	2,02,91,76,000
		पूंजी	3,22,46,00,000	2,000	3,22,46,02,000
78	सूचना विभाग	राजस्व	2,59,95,000	..	2,59,95,000
		पूंजी	..	..	..
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	66,08,000	2,000	66,10,000
		पूंजी	..	..	..

80 स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	1,70,22,000	.	1,70,22,000
	पूंजी	..	..	
81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	82,90,64,000	3,000	82,90,67,000
	पूंजी	..	..	.
82 क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	29,07,02,000	..	29,07,02,000
	पूंजी	4,30,00,000	..	4,30,00,000
योग —	राजस्व	26,60,80,69,000	3,98,59,34,000	30,59,40,03,000
	—पूंजी	15,32,00,38,000	8,19,31,92,000	23,51,32,30,000
कुल योग ..		41,92,81,07,000	12,17,91,26,000	54,10,72,33,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बी० एस० यू० पी०—21 वि० सभा—24-8-84—813—(पी० डी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा